

वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 5]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 31 जनवरी, 2020-माघ 11, शके 1941

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

CHANGE OF SURNAME

I, Laveena John here by declare that after marriage I have changed my name as Laveena Sahu W/o Bikash Sahu. so from now I will be known by my new name.

Old Name :

(LAVEENA JOHN)

(1023-B.)

New Name :

(LAVEENA SAHU)

Add.— 8-B, Nidhivan Colony,
Pipliyahana, Indore (M.P.).

CHANGE OF NAME

My Old name Dheeraj S/o Raj Kumar, Address-F-103, Block-E, Sant Hirdaram Colony, Kailash Nagar, Bairagarh, Bhopal, M. P. I have changed my name my new name is now Dheeraj Bhojwani S/o Raj Kumar Bhojwani.

Old Name :

(DHEERAJ)

(1024-B.)

New Name :

(DHEERAJ BHOJWANI)

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि अभी तक मेरा नाम व पता श्री रामलखन शर्मा पिता मनीराम शर्मा, उम्र 59 वर्ष, निवासी ग्राम इटवां, तह. देवेन्द्रनगर, जिला पन्ना था. जिसमें मेरे द्वारा सिर्फ अपने उपनाम का परिवर्तन करते हए दिनांक 17-07-2019 से अपना नाम रामलखन मिश्रा कर लिया गया है. मैं अपने समस्त वर्तमान दस्तावेजों में अपने पुराने नाम रामलखन शर्मा के स्थान पर नया नाम रामलखन मिश्रा दर्ज करा रहा हूं. ये दोनों ही नाम मेरे हैं, इसलिए अब से मेरे सभी दस्तावेजों में अथवा जहाँ भी मेरा पुराना नाम रामलखन शर्मा लेख पाया जाये उसे रामलखन मिश्रा पढ़ा, लिखा व माना जाये।

पुराना नाम :

(रामलखन शर्मा)

(1025-बी.)

नया नाम :

(रामलखन मिश्रा)

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि अभी तक मेरा नाम व पता शिवदेवी शर्मा पति रामलखन शर्मा, उम्र 59 वर्ष, निवासी ग्राम इटवां, तह. देवेन्द्रनगर, जिला पन्ना था. जिसमें मेरे द्वारा सिर्फ अपने उपनाम का परिवर्तन करते हुए दिनांक 17-07-2019 से अपना नाम शिवदेवी मिश्रा कर लिया गया है। मैं अपने समस्त वर्तमान दस्तावेजों में अपने पुराने नाम शिवदेवी शर्मा के स्थान पर नया नाम शिवदेवी मिश्रा दर्ज करा रही हूं, ये दोनों ही नाम मेरे हैं, इसलिए अब से मेरे सभी दस्तावेजों में अथवा जहां भी मेरा पुराना नाम शिवदेवी शर्मा लेख पाया जाये उसे शिवदेवी मिश्रा पढ़ा, लिखा व माना जाये।

पुराना नाम :	नया नाम :
(शिवदेवी शर्मा)	(शिवदेवी मिश्रा)
(1026-बी.)	

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, गुरुदयाल निवासी 602-ए, ब्लॉक टॉप, रेजीडेंसी मिल्लत कॉलेज के पास, भोपाल घोषणा करता हूं कि पूर्व में मेरा नाम गुरुदीन था, जिसे परिवर्तित करते हुए अब गुरुदयाल कर लिया है जो सही एवं सत्य है। अब मुझे मेरे सही नाम गुरुदयाल से समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में जाना एवं पहचाना जावे।

पुराना नाम :	नया नाम :
(गुरुदीन)	(गुरुदयाल)
	पुत्र-श्री दूलू,
(1027-बी.)	निवासी- 602-ए, ब्लॉक टॉप रेजीडेंसी,
	मिल्लत कॉलेज के पास, भोपाल।

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं शारदा बेले ने अपना नाम परिवर्तित करके सायरा बी कर लिया है। अतः भविष्य में मुझे मेरे व मेरे बच्चों के समस्त शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मेरे नये नाम सायरा बी से ही लिखा व पढ़ा जावे।

पुराना नाम :	नया नाम :
(शारदा बेले)	(सायरा बी)
(1028-बी.)	निवासी-काशी नगर, वार्ड नं. 2, नोनिया करबल,
	छिन्दवाड़ा (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि शारदी पूर्व मेरा नाम रेखा वर्मा था जिसे शारदी के बाद बदलकर शिवानी वर्मा कर लिया था। अतः मेरे सभी शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मुझे नये नाम शिवानी वर्मा पति कमल वर्मा से लिखा, पढ़ा जावे।

पुराना नाम :	नया नाम :
(रेखा वर्मा)	(शिवानी वर्मा)
	पत्नी-कमल वर्मा,
(1029-बी.)	निवासी-28, गोधा कालोनी, इन्दौर (म.प्र.).

CHANGE OF NAME

My Old Name MAYA, Address- F-103, Block-E, Sant Hirdaram Colony, Kailash Nagar, Bairagarh, Bhopal M.P. I have Changed My Name My New Name is Now SONIYA BHOJWANI W/O RAJ KUMAR BHOJWANI.

Old Name :	New Name :
(MAYA)	(SONIYA BHOJWANI)
(1030-B.)	

नाम परिवर्तन

मैं, सुल्तान खाँ पुत्र स्व. श्री मुल्ले खाँ, निवासी- हनुमान गली, लाला का बाजार, लश्कर, ग्वालियर घोषणा करता हूँ कि मेरे स्वयं के आधार कार्ड, वोटर कार्ड, समग्र आई डी एवं मेरे दोनों पुत्रों हमीद खाँ एवं अनिल कुमार के शिक्षा प्रमाण-पत्र, एवं आधार कार्ड, वोटर कार्ड में मेरा नाम सुल्तान खाँ अंकित है तथा मेरे शिक्षा प्रमाण-पत्र में सलीम अहमद व भवन स्थित लाला का बाजार, हनुमान गली, लश्कर, ग्वालियर की रजिस्ट्री में मेरा नाम सलीम अहमद उर्फ सुल्तान अहमद अंकित है। यहकि प्रार्थी ने अपना नाम परिवर्तित कर सुल्तान खाँ पुत्र श्री मुल्ले खाँ कर दिया है।

पुराना नाम :
(सलीम अहमद उर्फ सुल्तान अहमद)
 (1031-बी.)

नया नाम :
(सुल्तान खाँ)
 पुत्र मुल्ले खाँ
 निवासी-हनुमान गली, लाला का बाजार,
 लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि शादी पूर्व मेरा नाम सीमा हुकमचंद जैन था जिसे शादी के बाद बदलकर सीमा पाटनी पति संजीव पाटनी कर लिया था। अतः शेयर सर्टिफिकेट सहित मेरे सभी दस्तावेजों में नये नाम सीमा पाटनी से लिखा, पढ़ा जावे।

पुराना नाम :
(सीमा हुकमचंद जैन)
 (1032-बी.)

नया नाम :
(सीमा पाटनी)
 पति-संजीव पाटनी।

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, कमलेश कुमार राय, निवासी-मंडी बामोरा, तहसील बीना, के पिता का सही नाम किशन लाल राय है। जो कि मेरे सभी दस्तावेजों अंकसूची, आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस में दर्ज है। किन्तु मेरे सर्विस रिकॉर्ड व पे-स्लिप में मेरे पिता का नाम त्रुटिवश किशन बुद्धा लिखा गया है। मेरे पिता का सही नाम किशन लाल राय है। इन नामों के अलग-अलग व्यक्ति नहीं हैं। मेरे पिता का यही नाम मान्य किया जावे।

(1033-बी.)

(कमलेश कुमार राय)
 पिता किशन लाल राय,
 निवासी-ग्राम मंडी बामोरा, तह.बीना,
 जिला सागर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, रानी पत्नी श्री राजेश सर्व-साधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा बोलता नाम रेखा देवी था जो मेरी बीमा पॉलिसियों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है जो कि गलत है जबकि मेरे शासकीय/अद्वैशासकीय प्रपत्र जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड इत्यादि में मेरा नाम रानी लिखा गया है। और वर्तमान मैं रानी के नाम से जानी, पहचानी, एवं पुकारी जाती हूँ और रानी के नाम से ही हस्ताक्षर करती हूँ। अतः मेरी बीमा पॉलिसियों एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा बोलता नाम रेखा देवी के स्थान पर रानी लिखा एवं पढ़ा जाये। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

(1034-बी.)

पुराना नाम :
(रेखा देवी)
 पता-वार्ड न. 04, रामगढ़ रोड़,
 डबरा, जिला ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं पंकज बेले ने अपना नाम परिवर्तित करके शोहेल शाह कर लिया है। अतः भविष्य में मुझे मेरे समस्त शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मेरे नये नाम शोहेल शाह से ही लिखा व पढ़ा जावे।

(1035-बी.)

पुराना नाम :
(पंकज बेले)
 पता-काशी नगर, वार्ड नं. 2, नोनिया करबल,
 छिन्दवाड़ा (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं राजेश बेले ने अपना नाम परिवर्तित करके समीर शाह कर लिया है। अतः भविष्य में मुझे मेरे समस्त शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मेरे नये नाम समीर शाह से ही लिखा व पढ़ा जावे।

पुराना नाम :	नया नाम :
(राजेश बेले)	(समीर शाह)
(1036-बी.)	निवासी-काशी नगर, वार्ड नं. 2, नोनिया करबल, छिन्दवाड़ा (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं संजय जैन पुत्र श्री सुनेहरी लाल जैन, मेरा एल. आई. सी. पॉलिसी क्र. 203069583 में मेरा नाम टिंकू जैन पुत्र श्री सुनेहरी लाल जैन था। जो कि मेरा घर का प्रचलित नाम था। अब मैंने अपना नाम बदल कर संजय जैन रख लिया है। वास्तव में दोनों नाम मेरे ही हैं। अतः भविष्य में मुझे संजय जैन के नाम से ही जाना एवं पहचाना जावे।

पुराना नाम :	नया नाम :
(टिंकू जैन)	(संजय जैन)
(1044-बी.)	पुत्र-श्री सुनेहरी लाल जैन, निवासी-लक्ष्मी होटल के पीछे, शिंदे की छावनी, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी दस्तीं की मार्कशीट में मेरे नाम के आगे पिताजी का नाम त्रुटिवश (MAKKHANLAL CHOUDHARY) लिखा हुआ है, जो कि सही नहीं है। मेरे पिताजी का सही नाम (GAYATRI CHOUDHARY D/O MAKHANLAL CHOUDHARY) है। अतः भविष्य में मुझे मेरे सही नाम (GAYATRI CHOUDHARY D/O MAKHANLAL CHOUDHARY) के नाम से जाना, पहचाना व लिखा-पढ़ा जावे।

पुराना नाम :	नया नाम :
(GAYATRI CHOUDHARY) D/o Makkhanlal Choudhary.	(GAYATRI CHOUDHARY) D/o Makhanlal Choudhary,
(1045-बी.)	निवासी-साईनाथ काम्प्लेक्स, मंडले कॉलोनी, ग्राम रंगवासा रोड़, राऊ, इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, भव्या बिनवानी पति मोहित बिनवानी, निवासी- पदमा निवास खडकपुरा, खण्डवा जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश सर्व-साधारण को सूचित करती हूँ कि विवाह पूर्व मेरा नाम नैना नागपाल पिता अशोक नागपाल (NAINA NAGAPAL D/O ASHOK NAGPAL) था। अब मैंने विवाह पश्चात् मेरा नाम बदल कर भव्या बिनवानी पति मोहित बिनवानी (BHAVYA BINWANI W/O MOHIT BINWANI) कर लिया है। अतः आज दिनांक से मेरे समस्त दस्तावेजों में जहाँ मेरा नाम नैना नागपाल पिता अशोक नागपाल दर्ज है उसे भव्या बिनवानी पति मोहित बिनवानी पढ़ा जावे तथा मुझे मेरे नये नाम से जाना एवं पहचाना जावे।

पुराना नाम :	नया नाम :
(नैना नागपाल)	(भव्या बिनवानी)
(1047-बी.)	

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में उत्तीर्ण मा. शि. मं. भोपाल की कक्षा 11वीं की अंकसूची अनुसार (SHELENDRA KUMAR) पुराने पासपोर्ट अनुसार (SHELENDRA KUMAR BHATTA) त्रुटिवश अंकित हो गया था। जबकि मेरा सही नाम शैलेन्द्र भट्ट (SHELENDRA BHATT) है। अतः मुझे भविष्य में सभी संदर्भों में मेरे सही नाम शैलेन्द्र भट्ट (SHELENDRA BHATT) के नाम से जाना जावे।

पुराना नाम :	नया नाम :
(SHELENDRA KUMAR BHATTA) (शैलेन्द्र कुमार भट्ट)	(SHELENDRA BHATT) (शैलेन्द्र भट्ट)
(1051-बी.)	ई-7, ऋषि नगर, उज्जैन (म. प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, खलील अहमद मंसूरी पुत्र अहमद खां, निवासी- लक्कड़खाना, मंसूरी मस्जिद, लश्कर, ग्वालियर मध्यप्रदेश सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे स्कूल दस्तावेज एवं मार्कशीट में पूर्व का नाम खलील मोहम्मद पुत्र श्री अहमद खां अंकित है। मेरा सन् 2000 में विवाह हो जाने के उपरांत सभी दस्तावेजों जैसे- आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, बीमा पॉलिसी, ड्रायविंग लायसेंस, बिजली का बिल, पानी का बिल के अतिरिक्त बच्चों के स्कूल एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम खलील अहमद मंसूरी अंकित है। मैं खलील अहमद मंसूरी के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाता हूँ, मुझे भविष्य में इसी नाम से जाना जावे।

पुराना नाम :

(खलील मोहम्मद)

पुत्र- श्री अहमद खां.

(1048-बी.)

नया नाम :

(खलील अहमद मंसूरी)

पुत्र- श्री अहमद खां,

निवासी-सात भाई की गोठ, मंसूरी मस्जिद,
लक्कड़खाना, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, राकेश बंसल पिता कचरुमल बंसल (RAKESH BANSAL S/O KACHRUMAL BANSAL) निवासी-ओम निवास 13, माधवलाल लक्ष्मीनारायण मार्ग, रामकृष्णगंज वार्ड 18, खण्डवा, जिला खण्डवा सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा नाम राकेश कुमार पिता कचरुमल बंसल (RAKESH KUMAR S/O KACHRUMAL BANSAL) था। अब मैंने मेरा नाम बदल कर राकेश बंसल पिता कचरुमल बंसल (RAKESH BANSAL S/O KACHRUMAL BANSAL) कर लिया है। अतः आज दिनांक से मेरे समस्त दस्तावेजों में जहाँ-जहाँ मेरा नाम राकेश कुमार पिता कचरुमल बंसल दर्ज है उसे राकेश बंसल पिता कचरुमल बंसल पढ़ा जावे तथा मुझे मेरे नये नाम से जाना एवं पहचाना जावे।

पुराना नाम :

(राकेश कुमार)

(1049-बी.)

नया नाम :

(राकेश बंसल)

नाम परिवर्तन

मैं, पलक गंगराडे पिता मोहन गंगराडे (PALAK GANGRADE D/O MOHAN GANGRADE) निवासी-460, महात्मा गांधी मार्ग, घंटा घर चौक, बॉम्बे बाजार, खण्डवा मध्यप्रदेश सर्व-साधारण को सूचित करती हूँ कि पूर्व में मेरा नाम पलक पिता मोहन गंगराडे (PALAK D/O MOHAN GANGRADE) था। अब मैंने मेरा नाम बदल कर पलक गंगराडे पिता मोहन गंगराडे (PALAK GANGRADE D/O MOHAN GANGRADE) कर लिया है। अतः आज दिनांक से मेरे समस्त दस्तावेजों में जहाँ-जहाँ पलक पिता मोहन गंगराडे दर्ज है उसे पलक गंगराडे पिता मोहन गंगराडे पढ़ा जावे तथा मुझे मेरे नये नाम से जाना एवं पहचाना जावे तथा मेरे पेन कार्ड में त्रुटिवश मेरे पिता का नाम राजेन्द्र कुमार गंगराडे दर्ज हो गया है जबकि मेरे पिता का वास्तविक नाम मोहन गंगराडे है।

पुराना नाम :

(पलक)

पिता-मोहन गंगराडे।

(1050-बी.)

नया नाम :

(पलक गंगराडे)

पिता-मोहन गंगराडे।

नाम परिवर्तन

मैं, सरस्वती अग्रवाल, पति श्री तिलक चंद अग्रवाल सूचित करती हूँ कि मेरा सही नाम सरस्वती अग्रवाल है परन्तु कई स्थान पर मेरा नाम तनु / तनु अग्रवाल लिख दिया गया है। तनु मेरा घर का नाम है। परन्तु अब मुझे सिर्फ सरस्वती अग्रवाल के नाम से जाना व पहचाना जावे।

पुराना नाम :

(तनु अग्रवाल)

(1052-बी.)

नया नाम :

(सरस्वती अग्रवाल)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों एवं आई. डी. प्रूफ में मेरा नाम मनोज अहिरवार S/o श्री लक्ष्मीनारायण अहिरवार दर्ज है। अब मैं अपना नाम बदलकर मनोज बिर्दे (MANOJ BIRDE) S/o श्री लक्ष्मीनारायण अहिरवार कराना चाहता हूँ। अतः मुझे अब भविष्य में मनोज बिर्दे S/o श्री लक्ष्मीनारायण अहिरवार के नाम से ही जाना व पहचाना जाये।

पुराना नाम :

नया नाम :

(मनोज अहिरवार)

(मनोज बिर्दे)

S/o श्री लक्ष्मीनारायण अहिरवार,

S/o श्री लक्ष्मीनारायण अहिरवार,

(1053-बी.)

पता-दशहरा मैदान कैन्ट, गोपालपुरा,
गुना म. प्र.-473001.

नाम परिवर्तन

मैं, मो. सेराजुल हक (MOHD. SERAJUL HAQUE) आत्मज अब्दुल हलीम, निवासी- म. नं. 251, सी-सेक्टर, सुन्दर नगर, अशोका गार्डन, भोपाल मध्यप्रदेश की हूँ यह कि मेरे पुत्र मो. दानिशुल हक (MOHD. DANISHUL HAQUE) की अंकसूची में मेरा नाम एम. एस. हक (M.S. HAQUE) दर्ज है। जहां कहीं भी मेरे पुत्र के अंकसूची एवं रिकार्ड में मेरा नाम एम. एस. हक (M.S. HAQUE) दर्ज है। उसके स्थान पर मो. दानिशुल हक (MOHD. DANISHUL HAQUE) पुत्र श्री मो. सेराजुल हक (MOHD. SERAJUL HAQUE) पढ़ा एवं लिखा जावे।

पुराना नाम :

नया नाम :

(एम. एस. हक)

(मो. सेराजुल हक)

(M.S. HAQUE)

(MOHD. SERAJUL HAQUE)

(1054-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-सूचित हो कि मेरा नाम शैक्षणिक, दस्तावेजों व आधार कार्ड में विश्व भूषण फूले आत्मज श्री डी.आर. फूलमारे हैं। अब मैं अपना परिवर्तन कर विश्व भूषण आत्मज श्री डी.आर. फूलमारे के नाम से जाना व पहचाना जाऊंगा।

पुराना नाम :

नया नाम :

(विश्व भूषण फूले)

(विश्व भूषण)

आत्मज श्री डी. आर. फूलमारे।

आत्मज श्री डी. आर. फूलमारे,

(1055-बी.)

निवासी-डी-53, विष्णु हाई-टेक सिटी,

बावड़िया कलां, भोपाल।

नाम परिवर्तन

पहले मेरा नाम संगीता कुमारी दोहरे आत्मजा श्री राम बरन दोहरे था। स्नातक तक के सभी शिक्षा अभिलेखों तथा विवाह पूर्व के अन्य सभी अभिलेखों में मेरा यही नाम दर्ज है। (यह नाम कहीं-कहीं केवल संगीता दोहरे भी लिखा गया है)। शादी के बाद मैंने अपना नाम संगीता सिंह कर लिया है। अब मुझे संगीता सिंह नाम से ही जाना और लिखा जाए।

पुराना नाम :

नया नाम :

(संगीता कुमारी दोहरे/संगीता दोहरे)

(संगीता सिंह)

पूर्व पता-74/169, सैनिक कॉलोनी,

वर्तमान पता-सी-9, स्टार होम्स,

पिंटो पार्क 11, ग्वालियर।

भोपाल-39.

(1056-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स आर.एस. इन्फास्ट्रक्चर 15-ए, घी मण्डी दौलतगंज, उज्जैन, मध्यप्रदेश है

जिसका पंजीयन क्र. 0106/17, दिनांक 24 दिसम्बर, 2017 है। जिसमें दिनांक 30 नवम्बर, 2019 तक निम्नलिखित भागीदारगण फर्म का संचालन कर रहे थे। (1) रजनी हरभजनका पत्नी श्री जितेन्द्र हरभजनका (2) सुमित शाह पिता श्री भूपेन्द्र शाह दिनांक 01.12.2019 को उपरोक्त भागीदारों ने आपसी सहमति से निम्नलिखित दो भागीदारों को फर्म में भागीदार के रूप में शामिल करने का निर्णय किया है। दिनांक 01.12.2019 से भागीदार श्रीमती अंकिता शर्मा पत्नी अंकित शर्मा निवासी-107, सुदामानगर उज्जैन (म.प्र.) व अनिता शर्मा पत्नी श्री कमलेश शर्मा निवासी-107, सुदामानगर उज्जैन (म.प्र.). इस फर्म में नवीन भागीदार के रूप में शामिल किये गए हैं। इस प्रकार आज दिनांक 01.12.2019 को फर्म से निम्नलिखित भागीदार हैं। (1) रजनी हरभजनका पत्नी श्री जितेन्द्र हरभजनका, (2) सुमित शाह पिता श्री भूपेन्द्र शाह, (3) अंकिता शर्मा पत्नी अंकित शर्मा, (4) अनिता शर्मा पत्नी कमलेश शर्मा भागीदारी फर्म मैसर्स आर.एस. इन्फास्ट्रक्चर में उपरोक्त परिवर्तन सर्वजन एवं आमजन को सूचित हो।

मैसर्स आर.एस. इन्फास्ट्रक्चर,

सुमित शाह,

(भागीदार),

(1037-बी.)

15-ए, घी मण्डी, दौलतगंज उज्जैन (म.प्र.),

PUBLIC NOTICE

This is to inform that M/s Shiv Kumar Tamrakar Contractor a registered partnership firm having office at Purana Bazar No.1, Near Old Kotwali, Damoh changed its constitution due to death of Shri Rajendra Kumar Tamrakar and joining of Shri Ashwani Tamrakar as a partner.

This public notice is being published for the purpose of registration of change in constitution of the firm with the office of Registrar of Firms and Society.

For-M/s Shiv Kumar Tamrakar Contractor,
SHIV KUMAR TAMRAKAR,

(1038-B.)

(Partner).

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स गर्ग इम्पेक्स ग्वालियर पता- सर्वे नं. 16/1, विलेज-पुरानी छावनी, बिहाईड़ पुलिस स्टेशन, ए.बी. रोड, ग्वालियर म.प्र. जिसका पंजीयन क्रमांक 02/42/01/00153/11, दिनांक 05.09.2011 है। जिसमें दिनांक 13.10.2015 को भागीदार श्री श्याम सुन्दर सिंघल पुत्र श्री गोपाल दास सिंघल अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक हो गये हैं एवं दिनांक 23.12.2019 को श्रीमती इन्द्रा गर्ग पत्नी श्री सुनील गर्ग फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

मैसर्स गर्ग इम्पेक्स ग्वालियर,

नीरज गर्ग,

(भागीदार),

पता-सर्वे न.16/1, विलेज पुरानी छावनी,

बिहाईड़ पुलिस स्टेशन, ए. बी. रोड,

ग्वालियर (म.प्र.).

(1039-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मैसर्स G.N. SPRING INDUSTRIES जिनका कार्यालय पता-93, सेक्टर-एच, औद्योगिक क्षेत्र गोविंदपुरा भोपाल म.प्र. (462023) मध्यप्रदेश में स्थित है, जिसका फर्म पंजीयन क्र. 01/01/1/0206/18, सन् 2018-19, दिनांक 11 सितम्बर, 2018 में रजिस्ट्रार फर्म्स एंव संस्थाएं भोपाल संभाग मध्यप्रदेश में पंजीकृत हैं, उक्त भागीदारी फर्म में दिनांक 19-12-2019 को भागीदारी फर्म के दोनों साझेदारी द्वारा फर्म को सह सहमति से भंग (विघटन) कर दिया है जिसमें पार्टनर (1) श्री कुलदीप सिंह आत्मज श्री बलवीर सिंह (2) श्री सुमित मोटवानी आत्मज स्व. श्री जवाहर मोटवानी आयु वयस्क, उपरोक्त दिनांक 19-12-2019 से भागीदारी फर्म को भंग (विघटन) कर दिया है, आमजन एवं सर्वजन को सूचित किया जाता है।

संतोष बैरागी,

(अधिवक्ता),

पता-147 तृतीय तल, सुदर्शन पैलेस,

होटल के पास जोन-1 एम. पी. नगर, भोपाल.

(1040-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स भाग्य लक्ष्मी रोड लाईन्स वार्ड नं. 09, नियर पोस्ट ऑफिस चाकघाट त्योंथर जिला रीवा (म.प्र.) का पंजीयन क्रमांक 0031, दिनांक 01/06/2018 पर पंजीकृत फर्म है उक्त फर्म की रचना में परिवर्तन दिनांक 08/01/2020 को श्रीमती विजयलक्ष्मी, श्री विरेन्द्र सिंह चंदेल, श्री धीरजबाबू केशरवानी व श्री विकास कुमार केशरवानी को फर्म के भागीदार से पृथक होने एवं उक्त दिनांक को श्री विरेन्द्र कुमार चौरसिया, श्री महेन्द्र कुमार चौरसिया, श्री आनन्द कुमार चतुर्वेदी, श्रीमती शान्ति मिश्रा एवं मनोज कुमार तिवारी को फर्म में भागीदार के रूप में सम्मिलित हुये हैं। उक्त से सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है।

मेसर्स भाग्य लक्ष्मी रोड लाईन्स,

विरेन्द्र कुमार चौरसिया,

(भागीदार),

वार्ड नं. 09, नियर पोस्ट ऑफिस, त्योंथर,

जिला रीवा (मध्यप्रदेश).

(1041-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स जे एंड ए इंको फैब्रिक इंडस्ट्रीज फर्म के रूप में स.पंजीयक कार्यालय फर्म्स एवं संस्थाए इंदौर में पंजीकृत है एवं दिनांक 10/11/2018 को श्री विनीत कुमार चौधरी पिता श्री प्रसन्न मल चौधरी, निवासी-89, संचार नगर एक्सटेंशन, कनाडिया रोड, इंदौर, श्री संजय अग्रवाल पिता श्री बनवारी लाल अग्रवाल, निवासी 17, मंगल नगर, सुखलिया, इंदौर, श्रीमती मीनू अग्रवाल पति श्री संजय अग्रवाल, निवासी 17, मंगल नगर, सुखलिया, इंदौर एवं श्रीमती निर्मला देवी चौधरी पति श्री प्रसन्नमल चौधरी निवासी 89, संचार नगर एक्सटेंशन, कनाडिया रोड, इंदौर ने स्वेच्छा से फर्म से पृथक होकर आज दिनांक से फर्म के साझेदार नहीं रहे हैं साथ ही आज दिनांक 10/11/2018 को श्री अपूर्व भीते पिता श्री शंकर राव भीते एवं श्रीमती दीपि भीते पति श्री अपूर्व भीते दोनों निवासी मकान नं. 350, सेक्टर बी, स्कीम नं. 71 इंदौर ने नए साझेदार के रूप में फर्म में शामिल हुये हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अंतर्गत पालनार्थ सर्व सूचना है।

द्वारा-मेसर्स जे एंड ए इंको फैब्रिक इंडस्ट्रीज,

अपूर्व भीते ,

(पार्टनर)

(1042-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स पलिया कंस्ट्रक्शन, कैलारस स्थित एम.एस. रोड, हीरो होण्डा एजेन्सी के पास, कैलारस, जिला मुरैना जिसका पंजीयन क्रमांक 02/44/06/00117/08, दिनांक 22-10-2008 को पंजीकृत हुई जिसमें दिनांक 01-04-2019 से श्री नवनीत शर्मा पुत्र श्री द्वारिका प्रसाद शर्मा, निवासी- एम.एस. रोड हीरो होण्डा एजेन्सी, के पास कैलारस, जिला मुरैना म.प्र. एवं श्रीमती वंदना शर्मा पत्नी श्री अनूप शर्मा, निवासी-ए-1/20, विनय नगर सेक्टर-3 ग्वालियर म.प्र. फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं। साथ ही दिनांक 01-04-2019 से फर्म का कार्यालय एम.एस. रोड, हीरो होण्डा एजेन्सी के पास, कैलारस, जिला मुरैना से परिवर्तित कर ए-1/20 विनय नगर सेक्टर-3 ग्वालियर, मध्यप्रदेश पर किया गया है। आमजन एवं सर्वजन सूचित हो।

पलिया कंस्ट्रक्शन,

अनूप शर्मा,

(भागीदार),

कैलारस, जिला मुरैना (म.प्र.).

(1043-बी.)

NOTICE

U/s. 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932

Notice is hereby given that the firm "M/s AMRITDHARA DEVELOPERS" of Bhopal Vide Reg. No. 01/01/01/00505/2013-14, Dated 28/02/2014 undergone the following changes:-

1. That Dhanya Kumar Jain S/o Shri Premchand Jain has Joined the Partnership firm and Abhay Kumar Singhai S/o Shri jai Kumar Singhai and Chirag Singhai S/o Chandra Kumar Singhai is also desire to retire from the Partnership firm w.e.f. 01/04/2019.

2. That the Partnership firm change the address of head office from A-110, Krishananchal Apartments, Pari Bazar, Near Bhopal gate, Bhopal to Officers Town, Police Academy Square, Village Neelbad, Teh.- Hazur, Distt- Bhopal (M.P.) from w.e.f. 01/04/2019.

For-M/s AMRITDHARA DEVELOPERS,
SANDEEP KUMAR JAIN,

(Partner).

(1046-B.)

13, Girdhar Nagar, Near Tilak Nagar, Indore.

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास, जूनी इंदौर

फार्म-चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम-1963, नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक श्री ऋतुराज टोंग्या पिता श्री विनय कुमार टोंग्या, निवासी-26, राजग्राही नगर, पिपल्याहाना रिंग रोड़ कोठारी कॉलेज के सामने, इंदौर (म.प्र.) के द्वारा “सौभाग्यवती चम्पादेवी टोंग्या पारमार्थिक ट्रस्ट” पता-26, राजग्राही नगर, पिपल्याहाना रिंग कोठारी कॉलेज के सामने, इंदौर मध्यप्रदेश का पब्लिक ट्रस्ट की धारा 4(2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	“सौभाग्यवती चम्पादेवी टोंग्या पारमार्थिक ट्रस्ट”.
पता	:	पता-26, राजग्राही नगर, पिपल्याहाना रिंग रोड़, कोठारी कॉलेज के सामने, इंदौर (म.प्र.).
चल सम्पत्ति	:	रुपये 50,000.00 (अक्षरी रुपये पचास हजार मात्र) है। जिससे न्यास शुरू किया जा रहा है।
अचल सम्पत्ति	:	निरंक

आज दिनांक 09 जनवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

शाश्वत शर्मा,

पंजीयक।

(147)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, बण्डा, जिला सागर

बण्डा, दिनांक 04 जनवरी, 2020

प्र.क्र./बी-113/वर्ष 2019-20.

मौजा-चकेरी शाहगढ़।

1. छतरसिंह पिता हरीसिंह

.....आवेदक

निवासी चकेरी, शाहगढ़, तहसील शाहगढ़,
जिला सागर।

विरुद्ध

2. मध्यप्रदेश शासन

.....अनावेदक

क्र./क/ /रीडर-1/2020.—सर्व-साधारण को इश्तहार के जरिये सूचित किया जाता है कि मौजा चकेरीशाहगढ़ प.ह.नं. 34, तहसील शाहगढ़, जिला सागर में स्थित श्री देव महावीर जी (जानकीरमण हनुमान जी) मंदिर मुहा. हरीसिंह पिता गनपत सिंह प्रबन्धक कलेक्टर महोदय सागर के नाम मौजा चकेरी शाहगढ़, तहसील शाहगढ़ स्थित भूमि खसरा नं. 84, 97, 127, 178 रकबा क्रमशः 3.43, 0.12, 0.99, 0.89 रकबा कुल 3.43 हे. दर्ज है मुहत्तमकार हरीसिंह पिता गनपत सिंह के फौत हो जाने के कारण आवेदक छतरसिंह पिता हरीसिंह, निवासी चकेरीशाहगढ़ द्वारा मौजा चकेरी शाहगढ़, तहसील शाहगढ़ स्थित भूमि खसरा नं. 84, 97, 127, 178 रकबा क्रमशः 3.43, 0.12, 0.99, 0.89 रकबा कुल 3.43 हे. पूर्व मुह. के स्थान पर छतरसिंह पिता हरीसिंह, निवासी चकेरीशाहगढ़ प्रबन्धक कलेक्टर महोदय सागर का नाम दर्ज किए जाने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

आवेदन पर तहसीलदार, शाहगढ़ से प्रतिवेदन लिया गया उन्होंने अपने प्रतिवेदन दिनांक 24 सितम्बर, 2019 में लेख किया है कि आवेदक को मंदिर व्यवस्थापक नियुक्त किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

अतः आवेदक छतरसिंह पिता हरीसिंह, निवासी चक्रवरी, शाहगढ़ को मुहत्तमकार नियुक्त किए जाने में जिस किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति समक्ष में पेशी दिनांक 17 फरवरी, 2020 को स्वयं अथवा अपने वैध प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है। बाद म्याद गुजरने पर आपत्ति पर किसी भी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जाएगा।

इश्तहार आज दिनांक 04 जनवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी।

जीतेन्द्र कुमार पटेल,

(148)

अनुबिभागीय अधिकारी (राजस्व)।

न्यायालय अनुबिभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, पानसेमल, जिला-बड़वानी

रा.प्र.क्र. 0001/बी-113 (1)/2019-20.

फार्म-4

[नियम 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास, 1951 (1951 की 30) की धारा-5 की उपधारा (2) और

मध्यप्रदेश लोक न्यास, 1962 का नियम 5 (1) देखिये]

लोक न्यास के पंजीयक एवं अनुबिभागीय अधिकारी (राजस्व), पानसेमल, जिला बड़वानी के समक्ष।

चूंकि माँ बड़ी बिजासन धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट तर्फे बजारिया सोलंकी, निवासी राई, तहसील निवाली, जिला बड़वानी के द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन नीचे वर्णित अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है। ऐतद्वारा सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 20 जनवरी, 2020 को विचार के लिए लिया जावेगा।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है।

अतः मैं, सुमेरसिंग मुजाल्दा, अनुबिभागीय अधिकारी (राजस्व) पानसेमल, जिला बड़वानी का लोक न्यासों का पंजीयन अपने न्यायालय में दिनांक 18-12-2019 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा तथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ।

अतः ऐतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोटि में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या व्यक्तिशः या तो अभिभावक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्राह्य नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम तथा लोक न्यास की सम्पत्ति का विवरण)

न्यास का नाम	:	माँ बड़ी बिजासन धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट, पानसेमल
कार्यालय	:	माँ बड़ी बिजासन, ए. बी. रोड़, राजमार्ग एन. एच.-3
अचल संपत्ति	:	मंदिर 4415 वर्गफीट, हनुमान मंदिर 459 वर्गफीट, माँ सातमात्रा 600 वर्गफीट, श्री बटुक भैरव मंदिर 630 वर्गफीट, इसके अलावा मंदिर परिसर से संलग्न कार्यालय 515 वर्गफीट, पुजारी का कमरा 160 वर्गफीट, तीन भक्त निवास भवन 2100 वर्गफीट, कुल 2 कमरे 01 हाल एवं 1785 वर्गफीट में कुल 6 कमरे एवं 1500 वर्गफीट में 1 हाल, अन्न गृह 1200 वर्गफीट, भक्तों की दर्शन सुविधा हेतु टीन शेड 6000 वर्गफीट, यज्ञशाला 1225 वर्गफीट, गौशाला दो मंजीला 3300 वर्गफीट, मंदिर के समीप एक स्कूल 1736 वर्गफीट, स्कूल के सामने 11280 वर्गफीट का ग्राउंड स्थित है।
चल संपत्ति	:	राजराजेश्वरी बड़ी बिजासन नामे वित्तीय वर्ष में सामान्य बजट 78 लाख रुपये अनुमानित है।

आज दिनांक 18 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया।

सुमेरसिंग मुजाल्दा,

(149)

अनुबिभागीय अधिकारी (राजस्व)।

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उपायुक्त सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक 08 जनवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(4) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2020/44.—श्री गणेश गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर का पंजीयन क्रमांक/डी.आर./जी.डब्लू.आर./124, दिनांक 31 जुलाई, 1986 है, को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2017/692, दिनांक 25 मार्च, 2017 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर श्री अजय आहूजा, सहकारी निरीक्षक को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त किया गया था। परिसमापक श्री अजय आहूजा, सहकारी निरीक्षक द्वारा अपने पत्र दिनांक 06 जनवरी, 2020 के माध्यम से संस्था को पुर्णजीवित करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इस बावत संस्था की आमसभा दिनांक 18 दिसम्बर, 2019 को आयोजित की गई आमसभा के प्रस्ताव क्र. 01 दिनांक 18 दिसम्बर, 2019 से संस्था को पुर्णजीवित किये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया तथा निर्णय लिया गया कि संस्था के सदस्य संस्था को क्रियाशील कर सक्षम इकाई बनाकर सभी सदस्य मिलकर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं संस्था की उपविधि अनुसार संस्था का कार्य संचालन करेंगे।

अतः मैं, अशोक कुमार शुक्ल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर परिसमापक की अनुशंसा एवं संस्था सदस्यों के हितों को दृष्टिगत रखते हुये संस्था की क्रियाशीलता एवं सक्षम इकाई होने की संभावना के आधार पर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(4) के अन्तर्गत संस्था का परिसमापन आदेश निरस्त करता हूँ तथा सदस्यों से अपेक्षा करता हूँ कि उक्त आदेश दिनांक से तीन माह की अवधि में संस्था को क्रियाशील कर प्रगति से इस कार्यालय को अवगत करावें। संस्था के कार्य संचालन हेतु संस्था सदस्यों की निम्नानुसार कमेटी गठित कर कार्यकारिणी समिति को नामांकित किया जाता है।

1. श्री सुरेश शर्मा/श्री जयराम शर्मा	अध्यक्ष
2. श्री सुभाष/श्री नंदकिशोर	उपाध्यक्ष
3. श्री गोपाल/श्री भगवानदास	उपाध्यक्ष
4. श्री अशोक/श्री रामचरण	संचालक
5. श्री के. फिलप्स/श्री हेन्ड्री फिलप्स	संचालक
6. श्री देवकी नन्दन/श्री एन. के. पाण्डे	संचालक
7. श्रीमती सत्यवती तोमर/श्री कर्नल वीर बहादुर सिंह	संचालक
8. श्री पुरुषोत्तम/श्री रामचरण	संचालक
9. श्री गोविंद दास/श्री गोपाल दास	संचालक
10. श्री राधेश्याम/श्री रामचरण	संचालक
11. श्री अनूप साहब/श्री महेश साहब	संचालक

उक्त नामांकित प्रबंध-कार्यकारिणी समिति को निर्देशित किया जाता है कि संस्था तीन माह के अन्दर नवीन प्रबंधकारिणी समिति के निर्वाचन हेतु मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी, भोपाल को विधिवत् आवेदन कर निर्वाचन करावें।

यह आदेश आज दिनांक.....को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(150)

ग्वालियर, दिनांक 10 जनवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(4) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2020/73.—मशीन कढ़ाई उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर का पंजीयन क्रमांक/ए.आर./जी.डब्लू.आर./462, दिनांक 06 फरवरी, 1985 है, को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2016/965, दिनांक 21 मार्च, 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर श्री बी. एल. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त किया गया था। परिसमापक श्री बी. एल. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक द्वारा अपने पत्र दिनांक 08 जनवरी, 2020 के माध्यम से संस्था को पुर्णजीवित करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इस बावत संस्था की आमसभा दिनांक 07 जनवरी, 2020 को आयोजित की गई आमसभा के प्रस्ताव क्र. 01 दिनांक 07 जनवरी, 2020 से संस्था को पुर्णजीवित किये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया तथा निर्णय लिया गया कि संस्था के सदस्य संस्था को क्रियाशील कर सक्षम इकाई बनाकर सभी सदस्य मिलकर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं संस्था की उपविधि अनुसार संस्था का कार्य संचालन करेंगे।

अतः मैं, अशोक कुमार शुक्ल, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला ग्वालियर परिसमापक की अनुशंसा एवं संस्था सदस्यों के हितों को दृष्टिगत रखते हुये संस्था की क्रियाशीलता एवं सक्षम इकाई होने की संभावना के आधार पर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(4) के अन्तर्गत संस्था का परिसमापन आदेश निरस्त करता हूँ तथा सदस्यों से अपेक्षा करता हूँ कि उक्त आदेश दिनांक से तीन माह की अवधि में संस्था को क्रियाशील कर प्रगति से इस कार्यालय को अवगत करावें। संस्था के कार्य संचालन हेतु संस्था सदस्यों की निम्नानुसार कमेटी गठित कर कार्यकारिणी समिति को नामांकित किया जाता है।

1. श्री उत्तम सिंह कुशवाह	अध्यक्ष
2. श्रीमती मुनी देवी	उपाध्यक्ष
3. श्री जगदीश परिहार	उपाध्यक्ष
4. श्री बाबूलाल	संचालक
5. श्री रामअवतार त्यागी	संचालक
6. श्री गौरव सिंह	संचालक
7. श्रीमती सुमन	संचालक
8. श्रीमती रंजना कुशवाह	संचालक
9. श्री लाखन सिंह गुर्जर	संचालक
10. श्री जीतेन्द्र भद्रैरिया	संचालक
11. श्री सरमन सिंह पाल	संचालक

उक्त नामांकित प्रबंध-कार्यकारिणी समिति को निर्देशित किया जाता है कि संस्था तीन माह के अन्दर नवीन प्रबंधकारिणी समिति के निर्वाचन हेतु मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी, भोपाल को विधिवत् आवेदन कर निर्वाचन करावे।

यह आदेश आज दिनांक 10 जनवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

अशोक कुमार शुक्ल,
उप-पंजीयक।

(151)

कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी समितियां, ग्वालियर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला ग्वालियर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्था की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेचित हो गई हैं:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन	परिसमापन
		क्रमांक व दिनांक	क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	शिक्षक कांग्रेस गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर	130/10-12-1986	1945/19-10-2017
2.	अरिहंत प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, ग्वालियर	689/28-03-2017	2093/04-10-2018
3.	पंचमहल महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, सिरसुला	306/25-05-2002	1844/13-09-2017
4.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, गढ़ी पिछोर	952/18-06-2004	1844/13-09-2017
5.	दिलासा साख सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर	992/25-09-2016	1844/13-09-2017
6.	नवीन महिला बचत साख सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर	493/12-02-2016	1896/12-09-2018
7.	उदय बुनकर सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर	25/13-01-1989	1844/13-09-2017
8.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, धनेली	523/08-02-1990	1844/13-09-2017
9.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कुलैथ	524/08-02-1990	1844/13-09-2017
10.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, गोहिन्दा	533/13-03-1991	1844/13-09-2017
11.	अन्नपूर्णा शीत गृह एवं प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर	26/10-08-1997	1844/13-09-2017
12.	चंबल क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर	406/29-04-2008	1844/13-09-2017

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम, 57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर में कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12.00 बजे से 3.00 बजे तक प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वर्चित होने के दायित्वाधीन होंगे। समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्था की लेखा पुस्तिकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 13 जनवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है।

गिरीज जैन,
उप-अंकेक्षक।

(152)

कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी समितियां, ग्वालियर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला ग्वालियर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्था की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	टेलीफोन कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर	78/12-09-1979	2882/10-11-2000
2.	शिवरामपुरम गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर	193/10-08-1992	2065/11-09-2002 1315/06-08-2015
3.	मां शेरावाली गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर	223/19-01-1995	1922/15-10-2015
4.	अभियंक गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर	282/30-09-2000	1123/31-03-2016
5.	समर्थ नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर	107/26-02-1983	1241/03-06-2017
6.	कांचमणि उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर	701/17-01-1988	1088/30-03-2016
7.	मध्यप्रदेश सिटीजन साख सहकारी संस्था मर्यादित, भितरवार	702/25-07-2017	2087/04-10-2018
8.	जनकल्याण साख सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर	581/26-09-2016	1902/17-10-2019
9.	पारस प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर	621/26-12-2016	2065/04-10-2018
10.	अजय प्रकाशन एवं मुद्रण वितरक सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर	236/29-12-1995	1070/30-03-2016
11.	ग्वालियर लेदर शू मैकर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर	04/08-10-1955	694/25-03-2017
12.	कृष्ण महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर	942/16-04-2004	1081/30-03-2016
13.	वसुंधरा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर	546/11-07-2016	2553/10-12-2018
14.	चिकित्सा सेवी साख सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर	767/24-10-1994	580/21-03-2001
15.	छत्रसाल साख सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर	906/22-03-2001	2370/07-11-2012
16.	नगर पालिका कर्मचारी संघ सहकारी संस्था मर्यादित, डबरा	901/14-09-2000	500/24-11-2012

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम, 57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर में कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12.00 बजे से 3.00 बजे तक प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वर्चित होने के दायित्वाधीन होंगे। समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्था की लेखा पुस्तिकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें, यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकार्ड, डेड स्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 13 जनवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है।

अजय आहूजा,

(153)

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड भितरवार, जिला ग्वालियर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला ग्वालियर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्था की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेचित हो गई हैं:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन	परिसमापन
		क्रमांक व दिनांक	क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	विमुक्त सैनिक संयुक्त कृषि सहकारी संस्था मर्यादित, दुबही	180/18-11-1963	773/07-03-1986
2.	बजरंग संयुक्त कृषि सहकारी संस्था मर्यादित, दुबहा	219/18-08-1965	779/07-03-1986
3.	पंजाबी संयुक्त कृषि सहकारी संस्था मर्यादित, दुबहा	221/18-08-1985	777/07-03-1986
4.	आदिवासी कॉलोनी सहकारी संस्था मर्यादित, नयागांव ठहला	127/30-03-1963	774/07-03-1986
5.	आदिवासी संयुक्त कृषि सहकारी संस्था मर्यादित, दुबही	200/26-03-1964	02/02-01-1988
6.	आदिवासी सामूहिक कृषि सहकारी संस्था मर्यादित, नैनागढ़	25/29-09-1962	775/07-03-1986
7.	हरिजन सहकारी संस्था मर्यादित, भीमबाड़ा	240/25-11-1966	02/02-01-1988
8.	हरिजन सहकारी संस्था मर्यादित, डोंगरपुर	307/08-12-1970	02/02-01-1988
9.	संयुक्त कृषि सहकारी संस्था मर्यादित, दुबही	199/26-03-1964	02/02-01-1988
10.	संयुक्त सहकारी संस्था मर्यादित, दुबही	198/26-03-1964	02/02-01-1988
11.	विमुक्त जाति सामूहिक सहकारी संस्था मर्यादित, दुबही	226/13-12-1965	02/02-01-1988
12.	हरिजन सामूहिक सहकारी संस्था मर्यादित, करहिया	230/25-02-1966	778/07-03-1988
13.	बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, आंतरी	4920/02-12-1947	1690/28-08-2008
14.	काबेरी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, करहिया	916/13-03-2002	295/31-03-2002
15.	यमुना महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, बनवार	915/31-03-2002	972/21-03-2016
16.	गंगा महिला सहकारी संस्था मर्यादित, पिपरौआ	914/13-03-2002	973/21-03-2016
17.	रूपा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, ईटमां	874/12-05-1998	978/21-03-2016
18.	खेड़ापति महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, गोहिंदा	953/15-06-2004	974/21-03-2016
19.	अर्चना महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, बस्तुरा	969/04-03-2005	971/21-03-2016
20.	मां पार्वती महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, साखनी	983/21-07-2016	966/21-07-2004
21.	नवोदय मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, हरसी	767/18-10-1994	1050/28-04-1998
22.	हरिजन मत्स्योद्योग सहकारी समिति, हिम्मतगढ़	648/20-04-1993	352/04-02-1996
23.	आदिवासी यातायात सहकारी संस्था मर्यादित, चिटोली	208/18-11-1993	975/10-01-2005
24.	तेल उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर	386/13-02-1976	02/02-01-1988

1	2	3	4
25.	कुम्हारी उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, भितरवार	165/17-06-1963	853/21-03-2001
26.	महिला कल्याण उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, भितरवार	400/30-07-1988	855/30-03-2001
27.	दयाल मटर प्रक्रिया एवं साग-सब्जी, फल-फूल उत्पादक सहकारी समिति, ग्वालियर	246/24-05-1996	2018/10-11-1997
28.	मधुमक्खी पालन सहकारी समिति, हर्षी	127/29-06-1962	613/17-09-1991
29.	आदर्श सुअर पालन सहकारी समिति मर्यादित, आंतरी	379/28-07-2004	962/21-03-2016
30.	हरिजन पिगरी पालन सहकारी संस्था मर्यादित, आंतरी	970/08-06-2005	966/21-03-2016
31.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, चीनोर	754/31-08-1994	1073/30-03-2016

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम, 57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर में कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12.00 बजे से 3.00 बजे तक प्रस्तुत करें त्रुटि की दशा में साहूकारण/दावेदारण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंतवारे से वर्चित होने के दायित्वाधीन होंगे। समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्था की लेखा पुस्तिकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें, यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख एवं रिकार्ड, डेड स्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 13 जनवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है।

(154)

कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी समितियां, ग्वालियर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला ग्वालियर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्था की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन क्रमांक व दिनांक
			1
1.	वैभव गृह निर्माण सहकारी संस्था, ग्वालियर	136/28-07-1987	1408/06-08-2019
2.	महालेखाकार गृह निर्माण सहकारी संस्था, ग्वालियर	209/14-12-1993	1408/06-08-2019
3.	सत्यम शिवम् सुन्दरम् गृह निर्माण सहकारी संस्था, ग्वालियर	309/31-03-2008	1408/06-08-2019
4.	मां शारदा गृह निर्माण सहकारी संस्था, ग्वालियर	270/16-02-1999	1408/06-08-2019
5.	ओम शर्ति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर	1140/31-03-2016	319/18-11-2002
6.	रत्नाश्रय गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर	1140/31-03-2016	339/18-11-2002
7.	पाण्डव गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर	320/06-08-2019	1408/06-08-2019
8.	गुरुकृष्ण गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर	307/13-06-2002	1408/06-08-2019
9.	सहकार नगर निगम प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर	694/16-06-2014	1408/06-08-2019
10.	रिषीकेश प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर	658/28-03-2017	1408/06-08-2017

1	2	3	4
11.	गिरज यातायात सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर	202/26-03-1993	1844/30-09-2017
12.	सिंधु कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर	437/04-06-1985	1844/30-09-2017
13.	कृष्ण साख सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर	893/16-10-1999	2461/24-11-2012
14.	तिलहन उत्पादन सहकारी संस्था मर्यादित, घाटीगांव	496/31-03-2016	1017/29-03-2016

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम, 57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर में कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12.00 बजे से 3.00 बजे तक प्रस्तुत करें त्रुटि की दशा में साहूकारण/दावेदारण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वर्चित होने के दायित्वाधीन होंगे। समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्था की लेखा पुस्तिकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें, यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकार्ड, डेड स्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 13 जनवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है।

राजीव रूपेलिहा,

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक।

(155)

कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी समितियां, ग्वालियर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला ग्वालियर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्था की समस्त आस्तियां परिसमापक में वैष्ठित हो गई हैं:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन	परिसमापन
		क्रमांक व दिनांक	क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	ओम गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर	317/25-10-2002	1736/18-09-2019
2.	महाराणा प्रताप गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर	103/20-02-1982	1730/18-09-2019
3.	जीवाजी नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर	41/16-10-1966	1739/18-09-2019
4.	अनमोल गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर	412/30-04-2011	1738/18-09-2019
5.	संगम गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर	248/31-03-1996	523/26-03-2019
6.	आदर्श महिला गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर	608/21-10-2016	1408/06-08-2019
7.	स्वास्तिक प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर।	531/22-06-2015	2092/04-10-2018
8.	साईनाथ प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर।	662/28-03-2017	907/07-06-2019
9.	त्रिकुटवासनी प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर।	605/21-10-2016	909/07-06-2019

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम, 57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर में कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12.00 बजे से 3.00 बजे तक प्रस्तुत करें त्रुटि की दशा में साहूकारण/दावेदारण/सदस्यगण

किसी भी लाभ के बंटवारे से वर्चित होने के दायित्वाधीन होंगे। समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्था की लेखा पुस्तिकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें, यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकार्ड, डेड स्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जबाबादारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 13 जनवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है।

संजय अग्रवाल,

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक।

(156)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 353, दिनांक 16 फरवरी, 2016, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कुनमावा, तहसील खातेगांव, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 1514, दिनांक 22 अक्टूबर, 2014 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री महेन्द्र तिवारी, पर्यवेक्षक संस्था में परिसमापक नियुक्त किया गया था तथा आदेश क्रमांक/परि./1736, दिनांक 11 अक्टूबर, 2019 से श्री पर्वतसिंह निगवाल वर्तमान में परिसमापक हैं।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, मनोज कुमार गुप्ता, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 26 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(157)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 354, दिनांक 16 फरवरी, 2016, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अठानिया, तहसील कन्नोद, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 1500, दिनांक 31 अक्टूबर, 2014 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री महेन्द्र तिवारी, पर्यवेक्षक संस्था में परिसमापक नियुक्त किया गया था तथा आदेश क्रमांक/परि./970, दिनांक 23 मार्च, 2018 से श्री आर. एस. मेहर, सहकारी निरीक्षक वर्तमान में परिसमापक हैं।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, मनोज कुमार गुप्ता, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 26 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(158)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 867, दिनांक 20 अप्रैल, 2010, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बेड़गांव, तहसील सतवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 1039, दिनांक 21 फरवरी, 2002 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री एफ. ए. खान, उप-अंकेश्क कंस्था में परिसमापक नियुक्त किया गया था तथा आदेश क्रमांक/परि./1736, दिनांक 11 अक्टूबर, 2019 से श्री पर्वतसिंह निगवाल वर्तमान में परिसमापक हैं।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेश्क निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, मनोज कुमार गुप्ता, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रर की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 26 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(159)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधक/प्रशासक

शांति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, देवास।

शांति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 340, दिनांक 20 मार्च, 1980 है। वर्तमान में संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराये जाने से संस्था के संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त होने के कारण कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1145, दिनांक 13 जुलाई, 2017 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-49 (7) के अंतर्गत प्रशासक नियुक्त किया गया है। संस्था प्रशासक के आवेदन अनुसार संस्था के सदस्य निर्वाचन कराने में असमर्थ हैं व संस्था से बार-बार सम्पर्क किया संस्था कार्य नहीं करना चाहती है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है। संस्था अपनी उपविधि के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है। जिस प्रयोग के लिये संस्था का पंजीयन किया गया था। उनकी पूर्ति नहीं की जा रही है। परिणाम स्वरूप मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क) एवं 69(2) (ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क) एवं 69 (2) (ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाये, इस संबंध में यदि कुछ कहना हो तो या प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हो तो दिनांक 20 जनवरी, 2020 कार्यालयीन समय में मय रिकार्ड के साथ स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा की आपको कारण बताओ सूचना- पत्र के संबंध में कुछ नहीं कहना है। संस्था को परिसमापन में लाने की विधि अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 26 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(160)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, लसुड़िया छातधार पंजीयन क्रमांक 540, दिनांक 19 मार्च, 1984 को आदेश क्रमांक 1736, दिनांक 11 अगस्त, 2019 से परिसमापन में लाया जाकर श्री पर्वतसिंह निगवाल, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था।

संस्था के सदस्यों के आवेदन प्राप्ति के पश्चात् परिसमापक द्वारा संस्था की आमसभा बुलाई गई एवं सभा में उपस्थित सदस्यों के सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किये जाने पर कि संस्था की आर्थिक उन्नति के लिये पुनर्जीवित किया जाये। यह भी प्रस्ताव पारित किया है कि संस्था जिन उद्देश्यों के लिये पंजीकृत की गयी थी, वह उद्देश्य अभी पूर्ण नहीं हुए हैं। आमसभा के परिपेक्ष्य में परिसमापक द्वारा संस्था को पुनर्जीवित किये जाने का आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

परिसमापक के आवेदन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था के सदस्यों के हित में संस्था का अस्तित्व में बने रहना आवश्यक है। उक्त के प्रकाश में यह प्रतीत होता है कि संस्था को पुनर्जीवित किया जाये।

अतः मैं, मनोज कुमार गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्ड्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, लसुड़िया छातधार का परिसमापन आदेश निरस्त करता हूं एवं संस्था के कार्य संचालन के लिये श्री पर्वतसिंह निगवाल, सहकारी निरीक्षक को संस्था का प्रशासक नियुक्त करता हूं एवं उन्हें निर्देशित किया जाता है कि तीन माह में संस्था का लंबित अंकेक्षण पूर्ण करायें एवं संस्था के संचालक मंडल के निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिये आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 26 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(161)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सिंगावदा पंजीयन क्रमांक 357, दिनांक 20 सितम्बर, 1980 को आदेश क्रमांक 1736, दिनांक 11 अक्टूबर, 2019 से परिसमापन में लाया जाकर श्री पर्वतसिंह निगवाल, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था।

संस्था के सदस्यों के आवेदन प्राप्ति के पश्चात् परिसमापक द्वारा संस्था की आमसभा बुलाई गई एवं सभा में उपस्थित सदस्यों के सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किये जाने पर कि संस्था की आर्थिक उन्नति के लिये पुनर्जीवित किया जाये। यह भी प्रस्ताव पारित किया गया है कि संस्था जिन उद्देश्यों के लिये पंजीकृत की गयी थी, वह उद्देश्य अभी पूर्ण नहीं हुए हैं। आमसभा के परिपेक्ष्य में परिसमापक द्वारा संस्था को पुनर्जीवित किये जाने का आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

परिसमापक के आवेदन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था के सदस्यों के हित में संस्था का अस्तित्व में बने रहना आवश्यक है। उक्त के प्रकाश में यह प्रतीत होता है कि संस्था को पुनर्जीवित किया जाये।

अतः मैं, मनोज कुमार गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्ड्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सिंगावदा का परिसमापन आदेश निरस्त करता हूं एवं संस्था के कार्य संचालन के लिये श्री पर्वतसिंह निगवाल, सहकारी निरीक्षक को संस्था का प्रशासक नियुक्त करता हूं एवं उन्हें निर्देशित किया जाता है कि तीन माह में संस्था का लंबित अंकेक्षण पूर्ण करायें एवं संस्था के संचालक मंडल के निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिये आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 26 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(162)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास

अम्बेडकर महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पीपलरांवा पंजीयन क्रमांक 1281, दिनांक 30 अगस्त, 2012 है, संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराये जाने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-49(7) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1489, दिनांक 04 सितम्बर, 2019 से संस्था का प्रशासक नियुक्त किया गया है। संस्था प्रशासक के आवेदन 23 सितम्बर, 2019 अनुसार संस्था विगत 02 वर्षों से बंद होकर अकार्यशील है जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है जिसके तहत अधिनियम की धारा-69(3) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1815, दिनांक 25 अक्टूबर, 2019 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। जिसका जबाब प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस का समय दिया गया था। उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, और ना ही जवाब प्रस्तुत किया गया है जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं।

अतः मैं, मनोज कुमार गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्ड्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अम्बेडकर महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पीपलरांवा पंजीयन क्रमांक 1281, दिनांक 30 अगस्त, 2012 है, को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूं एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री मनोहर कैथवास, सह. निरीक्षक, को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं।

यह आदेश आज दिनांक 26 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(163)

एस. जी. एस. साख सहकारी संस्था मर्या., देवास पंजीयन क्रमांक 1676, दिनांक 07 मई, 2018 है, संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराये

जाने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-49(7) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक 497, दिनांक 30 मार्च, 2019 से संस्था का प्रशासक नियुक्त किया गया है। संस्था प्रशासक के आवेदन 04 नवम्बर, 2019 अनुसार संस्था के सदस्य संस्था के निर्वाचन कराने में असमर्थ हैं एवं संस्था कार्य नहीं करना चाहती है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है जिसके तहत अधिनियम की धारा-69(3) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1967, दिनांक 18 नवम्बर, 2019 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। जिसका जबाब प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस का समय दिया गया था। उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, और ना ही जवाब प्रस्तुत किया गया है जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं।

अतः मैं, मनोज कुमार गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एस. जी. एस. साख सहकारी संस्था मर्या., देवास पंजीयन क्रमांक 1676, दिनांक 07 मई, 2018 है, को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री विवेक व्यास, उप-अंकेश्क, को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 26 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(164)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1396, दिनांक 27 अगस्त, 2008, तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कुमारिया बनवीर, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 647, दिनांक 07 नवम्बर, 1988 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री जगदीश खीचीं, उप-अंकेश्क संस्था में परिसमापक नियुक्त किया गया था तथा आदेश क्रमांक/परि./147, दिनांक 03 जनवरी, 2011 से श्रीमती तरुणा ठाकुर, सहकारी निरीक्षक, वर्तमान में परिसमापक हैं।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेश्कित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, मनोज कुमार गुप्ता, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रर की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 26 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(166)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1274, दिनांक 10 मई, 2012, श्री अच्छे रेत खदान खनिज सहकारी संस्था मर्या., देवास, तहसील देवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 857, दिनांक 01 सितम्बर, 1998 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री विनोद सरयाम, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेश्कित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, मनोज कुमार गुप्ता, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रर की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 26 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(167)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 362, दिनांक 16 फरवरी, 2016, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लसुड़िया सोगड़ा, तहसील देवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 1050, दिनांक 19 फरवरी, 2003 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री पी. के. जैन, पर्यवेक्षक संस्था में परिसमापक नियुक्त किया गया था तथा आदेश क्रमांक/परि./1441, दिनांक 09 अगस्त, 2017 से श्री बी. के. मिश्रा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक वर्तमान में परिसमापक हैं।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, मनोज कुमार गुप्ता, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 26 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(165)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 851, दिनांक 30 अप्रैल, 2016, अभिलाषा साख सहकारी संस्था मर्या., देवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक JR-21, दिनांक 04 फरवरी, 2014 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री पर्वतसिंह निगवाल, सहकारी निरीक्षक संस्था में परिसमापक नियुक्त किया गया था तथा आदेश क्रमांक/परि./1733, दिनांक 11 अक्टूबर, 2019 से श्री डी. के. आर्य, उप-अंकेक्षक वर्तमान में परिसमापक हैं।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, मनोज कुमार गुप्ता, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 26 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(169)

देवास, दिनांक 26 दिसम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत]

क्र./परि/2019/2415.—मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी.ए) के अंतर्गत बलराम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, चौबारा जागीर, पंजीयन क्रमांक 1585, दिनांक 22 जुलाई, 2015 को आदेश क्रमांक 831, दिनांक 30 अप्रैल, 2016 से परिसमापन में लाया जाकर श्री डी. के. शर्मा, उप अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था तथा आदेश क्रमांक/परि./1733, दिनांक 11 अक्टूबर, 2019 से श्री डी. के. आर्य, उप-अंकेक्षक वर्तमान में परिसमापक हैं।

संस्था के सदस्यों के आवेदन प्राप्ति के पश्चात् परिसमापक द्वारा संस्था की आमसभा बुलाई गई एवं सभा में उपस्थित सदस्यों के सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किये जाने पर कि संस्था की आर्थिक उन्नति के लिये पुनर्जीवित किया जाये। यह भी प्रस्ताव पारित किया है कि संस्था जिन उद्देश्यों के लिये पंजीकृत की गयी थी, वह उद्देश्य अभी पूर्ण नहीं हुए हैं। आमसभा के परिपेक्ष्य में परिसमापक द्वारा संस्था को पुनर्जीवित किये जाने का आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

परिसमापक के आवेदन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था के सदस्यों के हित में संस्था का अस्तित्व में बने रहना आवश्यक है। उक्त के प्रकाश में यह प्रतीत होता है कि संस्था को पुनर्जीवित किया जाये।

अतः मैं, मनोज कुमार गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत बलराम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, चौबारा जागीर का परिसमापन आदेश निरस्त करता हूं एवं संस्था के कार्य संचालन के लिये श्री डी. के. आर्य, उप-अंकेक्षक को संस्था का प्रशासक नियुक्त करता हूं एवं उन्हें निर्देशित किया जाता है कि तीन माह में संस्था का लंबित अंकेक्षण पूर्ण करायें एवं संस्था के संचालक मंडल के निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिये आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 26 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

मनोज कुमार गुप्ता,
उप-पंजीयक।

(168)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ

झाबुआ, दिनांक 31 दिसम्बर, 2019

क्र./परि/2019/998.—टिडाई माता बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, नागनवाट, तहसील मेघनगर, जिला झाबुआ, पंजीयन क्रमांक 1046, दिनांक 13 अक्टूबर, 2009 को कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/213/28, दिनांक 18 मार्च, 2014 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था।

परिसमापन से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत हुआ है कि उक्त संस्था का लेन-देन शोष नहीं है।

अतः मैं, अम्बरीश वैद्य, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (4) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक..... से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक.....को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

अम्बरीश वैद्य,
उप-पंजीयक।

(177)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, छिन्दवाड़ा

छिन्दवाड़ा, दिनांक 30 दिसम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि/2019/2355.—जिले में स्थित मोरढाना बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रजाड़ा, पंजीयन क्रमांक 912, दिनांक 10 जनवरी, 2014 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत आदेश क्रमांक 631, दिनांक 23 मार्च, 2015 से परिसमाप्ति किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमाप्ति संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण किया जाकर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतः मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत मोरढाना बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रजाड़ा, पंजीयन क्रमांक 912, दिनांक 10 जनवरी, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूं अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 30 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(178)

छिन्दवाड़ा, दिनांक 30 दिसम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि/2019/2356.—जिले में स्थित न्यू पवार बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., टेमनीकला, पंजीयन क्रमांक 928,

दिनांक 10 जनवरी, 2014 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत आदेश क्रमांक 631, दिनांक 23 मार्च, 2015 से परिसमापित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण किया जाकर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतः मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, छिंदवाड़ा, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत न्यू पवार बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., टेमनीकला, पंजीयन क्रमांक 928, दिनांक 10 जनवरी, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ, अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 30 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(179)

छिंदवाड़ा, दिनांक 30 दिसम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि/2019/2357.—जिले में स्थित जय भवानी बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सांवरी बाजार, पंजीयन क्रमांक 933, दिनांक 10 जनवरी, 2014 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत आदेश क्रमांक 631, दिनांक 23 मार्च, 2015 से परिसमापित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण किया जाकर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतः मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, छिंदवाड़ा, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत जय भवानी बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सांवरी बाजार, पंजीयन क्रमांक 933, दिनांक 10 जनवरी, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ, अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 30 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(180)

छिंदवाड़ा, दिनांक 30 दिसम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि/2019/2359.—जिले में स्थित संस्कृति बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सांवरी बाजार, पंजीयन क्रमांक 925, दिनांक 10 जनवरी, 2014 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत आदेश क्रमांक 631, दिनांक 23 मार्च, 2015 से परिसमापित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण किया जाकर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतः मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, छिंदवाड़ा, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत संस्कृति बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सांवरी बाजार, पंजीयन क्रमांक 925, दिनांक 10 जनवरी, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ, अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 30 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(181)

छिन्दवाड़ा, दिनांक 30 दिसम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि/2019/2360.—जिले में स्थित सिद्धेश्वरी बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भुताई, पंजीयन क्रमांक 922, दिनांक 10 जनवरी, 2014 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत आदेश क्रमांक 631, दिनांक 23 मार्च, 2015 से परिसमाप्ति किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमाप्ति संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण किया जाकर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतः मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत सिद्धेश्वरी बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भुताई, पंजीयन क्रमांक 922, दिनांक 10 जनवरी, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ। अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 30 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(182)

छिन्दवाड़ा, दिनांक 30 दिसम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि/2019/2361.—जिले में स्थित कीर्ति बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खूनाझिरकला, पंजीयन क्रमांक 931, दिनांक 10 जनवरी, 2014 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत आदेश क्रमांक 631, दिनांक 23 मार्च, 2015 से परिसमाप्ति किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमाप्ति संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण किया जाकर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतः मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत कीर्ति बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खूनाझिरकला, पंजीयन क्रमांक 931, दिनांक 10 जनवरी, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ। अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 30 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(183)

छिन्दवाड़ा, दिनांक 30 दिसम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि/2019/2362.—जिले में स्थित सत्यसाईं बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खैरवाड़ा, पंजीयन क्रमांक 911, दिनांक 10 जनवरी, 2014 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत आदेश क्रमांक 631, दिनांक 23 मार्च, 2015 से परिसमाप्ति किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमाप्ति संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण किया जाकर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतः मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत सत्यसाईं बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खैरवाड़ा, पंजीयन क्रमांक 911, दिनांक 10 जनवरी, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ। अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 30 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(184)

छिंदवाड़ा, दिनांक 30 दिसम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि/2019/2363.—जिले में स्थित भूमका बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भूमका (बदनूर), पंजीयन क्रमांक 915, दिनांक 10 जनवरी, 2014 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत आदेश क्रमांक 631, दिनांक 23 मार्च, 2015 से परिसमापित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण किया जाकर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतः मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, छिंदवाड़ा, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रर की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत भूमका बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भूमका (बदनूर), पंजीयन क्रमांक 915, दिनांक 10 जनवरी, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ। अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 30 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(185)

छिंदवाड़ा, दिनांक 30 दिसम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि/2019/2364.—जिले में स्थित खुशी बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., हतलेवाडोला (बदनूर), पंजीयन क्रमांक 916, दिनांक 10 जनवरी, 2014 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत आदेश क्रमांक 631, दिनांक 23 मार्च, 2015 से परिसमापित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण किया जाकर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतः मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, छिंदवाड़ा, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रर की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत खुशी बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., हतलेवाडोला (बदनूर), पंजीयन क्रमांक 916, दिनांक 10 जनवरी, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ। अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 30 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(186)

छिंदवाड़ा, दिनांक 30 दिसम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि/2019/2365.—जिले में स्थित रानी दुर्गावती महिला अनाज क्रय-विक्रय प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., जमुनियाकलां, पंजीयन क्रमांक 841, दिनांक 10 जनवरी, 2014 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत आदेश क्रमांक 631, दिनांक 23 मार्च, 2015 से परिसमापित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण किया जाकर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतः मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, छिंदवाड़ा, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रर की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत रानी दुर्गावती महिला अनाज क्रय-विक्रय प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., जमुनियाकलां, पंजीयन क्रमांक 841, दिनांक 10 जनवरी, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ। अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 30 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(187)

जी. एस. डेहरिया,
उप-पंजीयक।

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी विकास खण्ड- तामिया, जिला छिन्दवाड़ा
छिन्दवाड़ा, दिनांक 15 नवम्बर, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत]

क्र./क्यू./तामिया.—उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छिन्दवाड़ा के आदेश क्र./परिसमापन/2016/1526, दिनांक 05/05/2016 एवं आदेश क्र./परिसमापन/2014/581, दिनांक 19-03-2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्यादित, कोहपानी	667/08-09-2005
2.	सैलाखेड़ा दुर्घ उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, सैलाखेड़ा	695/08-10-2007
3.	आदिवासी विविध उद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, चुर्रीसाजवा	343/27-03-1967
4.	देनवा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, झिरपा	740/30-09-2010
5.	वनश्रमिक सहकारी समिति मर्यादित, दौरियाखेड़ा	106/01-01-1962
6.	दुर्घ उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, कोंडरा	427/14-12-1993

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्रमांक 57 (सी) के अंतर्गत उपरोक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि, वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय साक्ष के यदि हो तो मुझे कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं छिन्दवाड़ा में कार्यालयीन दिवस में समय दोपहर 12:00 बजे से दोपहर बाद 4:00 बजे तक लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकाराण/दावेदारण किसी भी लाभ के बंटवारे से वर्चित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किए गए समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियाँ किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरी सौंपें। यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियाँ या अभिलेख नहीं सौंपे गए तो उनके विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी जवाबदारी संबंधित की होगी।

यदि उक्त संस्थाओं में से किसी भी संस्था के अभिलेख या आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बाबजूद प्राप्त नहीं होते हैं तो दावेदारों/साहूकारों के दावों का निराकरण गत वर्ष की अंकेक्षित स्थिति विवरण पत्रकों आधार पर परिसमापक के विवके एवं सक्षम अधिकारी/उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं छिन्दवाड़ा के अनुमोदन उपरान्त किया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 15 नवम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई।

(188)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी विकास खण्ड- परासिया, जिला छिन्दवाड़ा
छिन्दवाड़ा, दिनांक 15 नवम्बर, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत]

क्र./क्यू./परासिया.—उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छिन्दवाड़ा के आदेश क्र./परिसमापन/2015/631, दिनांक 23/03/2015, आदेश क्र./परिसमापन/2016/1526, दिनांक 05-05-2016 एवं आदेश क्र./परिसमापन/2014/581, दिनांक 19-03-2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	कालरी एम्प्लाईज कंजुमर्स को ऑपरेटिङ स्टोर्स, रावनवाड़ाखास	216/09-06-1964

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
2.	पटपड़ा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, पटपड़ा	765/22-11-2011
3.	मारई दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, मारई	717/20-11-2009
4.	तुरसी दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, तुरसी	697/04-01-2007
5.	कोहका दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, कोहका	693/04-10-2007
6.	शक्ति प्रजापति उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, परासिया	147/24-08-1979
7.	आदिवासी हरिजन कल्याण बहुउद्देशिय औद्योगिक सहकारी समिति मर्या., पगारा।	389/02-09-1980
8.	कालरी कर्मचारी उप. सहकारी भंडार, ठिसगोरा	447/25-07-1994
9.	ठिसगोरा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, ठिसगोरा	780/16-03-2012
10.	पलटवाड़ा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, पलटवाड़ा	795/28-04-2012
11.	हरंहेट दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, हरंहेट	796/28-04-2012
12.	पुरा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, पुरा	771/01-03-2012
13.	तालपिपरिया दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, तालपिपरिया	583/17-06-1998
14.	दुग्ध उत्पादक प्राथमिक महिला सहकारी समिति मर्यादित, डोंगरपरासिया	1069/18-01-2016
15.	आस्था का. कर्म. प्राथ. उप. सह. भंडार मर्यादित, सिरगोरा (शिवपुरी)	702/09-01-2008
16.	कन्हान बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, सिंदरई गुरैयाथार	890/10-01-2014
17.	जय अम्बे महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, हरई	669/18-11-2005
18.	जय किसान सेवा बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, मोरडोंगरी	889/10-01-2014
19.	श्री हिंगलाज बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, शीलादेही	875/10-01-2014
20.	कृष्ण बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, लीखावाड़ी	871/10-01-2014
21.	शुभम एग्रो बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, उमरेठ	892/10-01-2014
22.	जय बजरंग फल फूल साग सब्जी उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, बिजोरी गुमाई।	1004/10-01-2014
23.	श्री राम फल फूल साग सब्जी उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित, लीखावाड़ी।	885/10-01-2014
24.	वैभव प्रियंका महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, न्युटन चिखली।	512/02-10-1995
25.	चेतना श्रमिक बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, चांदामेटा	33/11-01-1978
26.	दी कॉलरी कर्मचारी प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, बडकुही बडकुही इलेक्ट्रीक वर्कशॉप।	147/22-08-1963

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्रमांक 57 (सी) के अंतर्गत उपरोक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों का इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय साक्ष के यदि हो तो मुझे कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं छिन्दवाड़ा में कार्यालयीन दिवस में समय दोपहर 12:00 बजे से दोपहर बाद 4:00 बजे तक लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारण/दावेदारण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किए गए समझे जावेगें।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियाँ किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरी सौंपे। यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियाँ या अभिलेख नहीं सौंपे गए तो उन के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी जवाबदारी संबंधित की होगी।

यदि उक्त संस्थाओं में से किसी भी संस्था के अभिलेख या आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बाबजूद प्राप्त नहीं होते हैं तो दावेदारों/साहूकारों के दाबों का निराकरण गत वर्ष की अंकेक्षित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक एवं सक्षम अधिकारी/उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं छिन्दवाड़ा के अनुमोदन उपरान्त किया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 15 नवम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई।

(189)

राजेन्द्र कुमार काम्बले,

परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी।

कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला सिंगरौली

सिंगरौली, दिनांक 04 जनवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/09.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/929, दिनांक 30 सितम्बर, 2014 के द्वारा दृष्टि दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, आर. एण्ड आर. कॉलोनी, मझगवां, जिला सिंगरौली जिसका पंजीयन क्र. 83, दिनांक 06 फरवरी, 2012 है। को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री बाई. बी. तेली, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारिता जिला सिंगरौली को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है। जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के तहत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 16 जून, 2009 से प्राप्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं दीप्ति बनवासी, उप-पंजीयक सहकारी समितियाँ, जिला सिंगरौली मध्यप्रदेश दृष्टि दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, आर. एण्ड. आर. कॉलोनी, मझगवां, जिला सिंगरौली का निगम द्वारा निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करती हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 04 जनवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(190)

सिंगरौली, दिनांक 04 जनवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/10.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/929, दिनांक 30 सितम्बर, 2014 के द्वारा ईंदिरा क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्यादित, मोरवा तहसील एवं जिला सिंगरौली जिसका पंजीयन क्र. 915, दिनांक 11 फरवरी, 2003 है। को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एस. शर्मा, सहकारी निरीक्षक, सहकारिता जिला सिंगरौली को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है। जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के तहत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 16 जून, 2009 से प्राप्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं दीप्ति बनवासी, उप-पंजीयक सहकारी समितियाँ, जिला सिंगरौली मध्यप्रदेश ईंदिरा क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्यादित, मोरवा तहसील एवं जिला सिंगरौली का निगम द्वारा निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करती हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 04 जनवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(191)

सिंगरौली, दिनांक 04 जनवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/11.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/929, दिनांक 30 सितम्बर, 2014 के द्वारा ऊर्जाचल विस्थापित बेरोजगार सहकारी समिति मर्यादित, मिर्चगार (मढौली) तहसील एवं जिला सिंगरौली जिसका पंजीयन क्र. 1048, दिनांक 29 जून, 2007 है। को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एस. शर्मा, सहकारी निरीक्षक, सहकारिता जिला सिंगरौली को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है। जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के तहत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 16 जून, 2009 से प्राप्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं दीप्ति बनवासी, उप-पंजीयक सहकारी समितियाँ, जिला सिंगरौली मध्यप्रदेश ऊर्जाचल विस्थापित बेरोजगार सहकारी समिति मर्यादित, मिर्चगार (मढौली) तहसील एवं जिला सिंगरौली का निगम द्वारा निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करती हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 04 जनवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(192)

सिंगरौली, दिनांक 04 जनवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/12.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/929, दिनांक 30 सितम्बर, 2014 के द्वारा आशा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, तियरा जिला सिंगरौली जिसका पंजीयन क्र. 19, दिनांक 05 जुलाई, 2010 है। को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री पी. के. मिश्रा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारिता जिला सिंगरौली को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है। जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के तहत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 16 जून, 2009 से प्राप्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं दीप्ति बनवासी, उप-पंजीयक सहकारी समितियाँ, जिला सिंगरौली मध्यप्रदेश आशा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, तियरा जिला सिंगरौली का निगम द्वारा निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करती हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 04 जनवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(193)

सिंगरौली, दिनांक 04 जनवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/13.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/929, दिनांक 30 सितम्बर, 2014 के द्वारा मां लक्ष्मी क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्यादित, अम्बेडकर नगर तहसील एवं जिला सिंगरौली जिसका पंजीयन क्र. 1004, दिनांक 13 अप्रैल, 2005 है। को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एस. शर्मा, सहकारी निरीक्षक, सहकारिता जिला सिंगरौली को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है। जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के तहत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति

क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 16 जून, 2009 से प्राप्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं दीपि बनवासी, उप-पंजीयक सहकारी समितियाँ, जिला सिंगरौली मध्यप्रदेश मां लक्ष्मी क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्यादित, अम्बेडकर नगर तहसील एवं जिला सिंगरौली का निगम द्वारा निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करती हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 04 जनवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया है।

(194)

सिंगरौली, दिनांक 04 जनवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/14.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/929, दिनांक 30 सितम्बर, 2014 के द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, काम जिला सिंगरौली जिसका पंजीयन क्र. 99, दिनांक 06 नवम्बर, 2012 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री पी. के. मिश्रा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारिता जिला सिंगरौली को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है। जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँची हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के तहत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 16 जून, 2009 से प्राप्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं दीपि बनवासी, उप-पंजीयक सहकारी समितियाँ, जिला सिंगरौली मध्यप्रदेश महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, काम जिला सिंगरौली का निगम द्वारा निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करती हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 04 जनवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

दीपि बनवासी,

उप-पंजीयक।

(195)

कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, जिला मुरैना

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1960 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत]

उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर 70(1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., किराबली	604/03-03-1986
2.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., टिकटोली	645/20-03-1987
3.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., छैरा	579/22-12-1984
4.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सरसेनी	614/04-04-1986
5.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बरेंड	615/04-04-1986
6.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सुमावली	724/04-03-1988
7.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मई	743/24-03-1988
8.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चैना	776/06-07-1988
9.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., टुण्डीला	884/06-04-1989
10.	चर्मशोधन चर्मकर्मी सहकारी संस्था उत्तमपुरा, मुरैना	880/20-03-1981
11.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सिहोरी	580/23-02-1985
12.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उम्मेदगढ़वासी	644/20-03-1987

सहकारी अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्था की समस्त आस्तियाँ परिसमापक में वेचित हो गई

हैं। अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57(सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्रों के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित-रूप से मेरे कार्यालय उप/सहायक पंजीयक (अकेषण) सहकारी संस्थायें जिला मुरैना से कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12:00 बजे से 03:00 बजे तक प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटबारे से वर्चित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरांत उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगी तथा संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व उपरांत उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियाँ डेड स्टॉक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें। यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियाँ या अभिलेख एवं रिकार्ड डेड स्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बाबजूद प्राप्त नहीं होते हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यका मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीकृत निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 09 जनवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

पी.सी. गुप्ता,

(170)

सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक।

कार्यालय परिसमापक, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड, नारायणगंज, जिला मण्डला

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें नियम 962 के नियम-57(सी) के अंतर्गत सर्व-साधारण को जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप/सहायक पंजीयक सहकारी समितियां मण्डला के आदेशानुसार निम्न सहकारी समितियां जिनके पंजीयन क्रमांक व ओदश क्रमांक दर्शाया गया है, जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई गई तथा धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक / दिनांक	परिसमापक आदेश क्र./दिनांक
1.	दुग्ध उत्पा.सह.समिति मर्या., बबलिया	801/19.11.2007	652/31.07.2013
2.	दुग्ध उत्पा.सह.समिति मर्या., तरवानी	799/15.11.2007	653/31.07.2013
3.	दुग्ध उत्पा.सह.समिति मर्या., बरबटी	804/17.03.2008	831/27.09.2013
4.	दुग्ध उत्पा.सह.समिति मर्या., मुकासकला	803/17.03.2008	832/27.09.2013
5.	बीज उत्पा.सह.समिति मर्या., अहिरवाडा	1363/01.03.2014	2112/01.09.2014
6.	आदि. घरेलू ईंधन सह.समिति, रिपटाजेबरा	781/06.07.2006	1297/19.06.2015
7.	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खमरिया	1257/01.03.2014	260/04.03.2017
8.	जय बजरंग बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बरौची।	961/01.03.2014	264/04.03.2017
9.	श्री साईं बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., झाझनगर।	850/03.12.2011	1428/06.09.2018

अतः मैं, हेमसिंह श्याम, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नारायणगंज मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें नियम 1962 के नियम 57(सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि किसी व्यक्ति या संस्था का उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना देना निकल रहा वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय विकास खण्ड अधिकारी विकासखण्ड नारायणगंज में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इन समितियों के संबंध में कोई लेखापुस्तकें, रिकार्ड, रोकड एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर में रायालय में जमा कर दें अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों की वस्तुएं, अभिलेख या सम्पत्ति होने की जानकारी मिली अथवा सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

हेमसिंह श्याम,

(171)

परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी।

कार्यालय, सहायक आयुक्त, सहकारिता, जिला नीमच

नीमच, दिनांक 03 जनवरी, 2020

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत)

संचालक मण्डल

जय मां मोडीमाता मत्स्य सहकारी समिति मर्यादित, मालखेड़ा

जिला नीमच पंजीयन क्र. 327, दिनांक 09.10.2015

द्वारा अध्यक्ष/प्रबंधक

क्र./परि./2020/06.— यह कि जय मां मोडीमाता मत्स्य सहकारी समिति मर्या., मालखेड़ा जिसको पंजीयन क्र. 327, दिनांक 09 अक्टूबर, 2015 है परिसमापन में क्यों न लाया जाये इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओं सूचना-पत्र क्र. 928, दिनांक 17 दिसम्बर, 2019 को जारी कर संस्था को मय दस्तावेज के पक्ष समर्थन हेतु कार्यालय सहायक आयुक्त सहकारिता जिला नीमच में 15 दिवस में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए थे।

दिये गये निर्देशों के परिपालन में संस्था की ओर से अध्यक्ष श्री दशरथ द्वारा दिनांक 30 दिसम्बर, 2019 को कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में पक्ष समर्थन किया। उनके द्वारा निवेदन किया संस्था अधिनियम नियम उपविधि के प्रावधान अनुसार कार्य कर रहीं हैं। उसे परिसमापन में नहीं लाया जाए।

जय मां मोडीमाता मत्स्य सहकारी समिति मर्या., मालखेड़ा के अध्यक्ष/प्रबंधक द्वारा जारी कारण बताओं सूचना-पत्र के बिन्दु क्र. 1 के संबंध में यह जबाब प्रस्तुत किया गया कि सहायक संचालक मत्स्योद्योग जिला नीमच को 20 जून, 2014 को अनुशंसा हेतु पत्र लिखा गया था। सहायक संचालक मत्स्योद्योग द्वारा पत्र का कोई उत्तर नहीं दिया गया। कार्यालय आयुक्त एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं म.प्र. भोपाल के पत्र क्र. विविध/कृषि/05/484 दिनांक 12 सितम्बर, 2015 का उल्लेख करते हुए 45 दिन के अन्दर मत्स्य विभाग की अनुशंसा प्राप्त नहीं होती है तो मौन स्वीकृति मानते हुए समिति के पंजीयन की कार्यवाही की जा सकती है। अतः समिति का पंजीयन किया जा सकता है। पंजीयन के इसी पत्र में बिन्दु क्र.03 में स्पष्ट है कि नवीन समिति का गठन करते समय प्रस्तावित समिति के कार्यक्षेत्र में पूर्व से अन्य सहकारी समिति पंजीकृत न हों। समिति के कार्यक्षेत्र में पूर्व से शिवम मत्स्य सहकारी समिति मर्या., मालखेड़ा पंजीकृत थी।

पंजीयन के समय 06 सदस्य एक ही परिवार के होना पाए गए थे। संस्था द्वारा यह अवगत कराया गया कि प्रस्ताव ठहराव क्र. 05 दिनांक 20 दिसम्बर, 2019 से उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई व उन सदस्यों की अंशपूँजी भी वापस कर दी गई है। अंशपूँजी वापसी का कोई प्रमाण प्रतिउत्तर में प्रस्तुत नहीं किया गया। संस्था द्वारा प्रस्ताव क्र. 06, दिनांक 20 दिसम्बर, 2019 से 04 नवीन सदस्य बनाए गए हैं। इन सदस्यों के द्वारा सदस्यता हेतु आवेदन कब प्रस्तुत किए गए? साथ ही दो सदस्य ग्राम हाड़ी पिपल्या के होना दर्शाया है। संस्था का कार्यक्षेत्र ग्राम मालखेड़ा ही है। तो किस आधार पर ग्राम हाड़ी पिपल्या के रहवासी को सदस्य बनाया गया। संस्था द्वारा आयोजित बैठक दिनांक 20 दिसम्बर, 2019 का ऐजेण्डा किस दिनांक जो जारी किया गया। जारी ऐजेण्डा की विषय सूची क्या है। इस संबंध में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है। संस्था को दिनांक 17 दिसम्बर, 2019 को जारी कारण बताओं सूचना-पत्र प्राप्त होने के उपरान्त उक्त कार्यवाही की जाना दर्शित हो रहा है। साथ ही अधिनियम की धारा-06 के अंतर्गत पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य 20 विभिन्न परिवारों से होना चाहिए।

श्री मनीष पिता मदनलाल खटीक का पता नीमच का बताए जाने के संबंध में संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर में यह अवगत कराया कि मत्स्य समिति के नियमानुसार 08 कि.मी. के दायरे में निवासरत है। मत्स्य सहकारी समिति में सदस्यता उसी व्यक्ति को दी जानी चाहिए जो अपनी आजीविका का अर्जन मत्स्य या उससे संबंध व्यवसाय से करता हो। इस प्रकार का कोई प्रमाण-पत्र अपने प्रतिउत्तर में संस्था द्वारा सलांग नहीं किया गया है।

संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील होने के कारण अकेक्षण द्वारा डी वर्ग प्रदान किया जा रहा है। स्पष्टतः संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य तथा सहकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है। इस संबंध में संस्था का प्रतिउत्तर संतोषप्रद नहीं है।

जय मां मोडीमाता मत्स्य सहकारी समिति मर्या., मालखेड़ा द्वारा अधिनियम नियम एवं उपविधि का संस्था परिचालन में पालन नहीं कर रही है। जिससे संस्था सदस्यों के हितों को संवर्धन करने में पूर्णतः असफल रही है।

अतः मैं पुष्टेन्द्र कुमार कुशवाह, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जिला नीमच मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता से प्रदत्त शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए जय मां मोडीमाता मत्स्य सहकारी समिति मर्या., मालखेड़ा पंजीयन क्र. 327, दिनांक 09 अक्टूबर, 2015 को परिसमापन में लाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत श्री आर.पी. कुमावत, सहकारी निरीक्षक कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां जिला नीमच को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 03 जनवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(172)

पी.के. कुशवाह,
सहायक रजिस्ट्रार।

कार्यालय, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला नीमच

नीमच, दिनांक 07 जनवरी, 2020

क्र./परि./2020/17.— सिंधाडा उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बेसला, जिला नीमच पंजीयन क्र. 339, दिनांक 14 अप्रैल, 1982 कार्यालयीन आदेश क्र./परि/548 दिनांक 03 मई, 2018 से परिसमापन में होकर सहकारिता विस्तार अधिकारी नीमच परिसमापक नियुक्त है।

संस्था परिसमापक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं संलग्न आमसभा की बैठक दिनांक 08 नवम्बर, 2019 के निर्णय के प्रति अनुसार संस्था को पुर्नजीवित करने का निवेदन किया है।

अतः मैं पुष्टेन्द्र कुमार कुशवाह, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला नीमच प्रस्तुत प्रस्ताव एवं तीन वर्षों की कार्ययोजना से सहमत होते हुए सहकारिता की भावना के अनुरूप संस्था को कार्य करने का एक अवसर दिया जाना उचित पाता हूँ। संस्था को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69(4) के अंतर्गत पुर्नजीवित करता हूँ तथा कार्य संचालन हेतु निम्न संचालक मण्डल को नामांकित करता हूँ।

- | | | |
|----|---------------------------------|-----------|
| 1. | श्री प्रेमराज पिता मांगीलाल जी | अध्यक्ष |
| 2. | श्री बबलु पिता नन्दकिशोर जी | उपाध्यक्ष |
| 3. | श्री जगदीश पिता रामचन्द्र जी | संचालक |
| 4. | श्री राधेश्याम पिता रामलाल जी | संचालक |
| 5. | श्री शिवलाल पिता रामलालजी | संचालक |
| 6. | श्री जगदीश पिता मदनलाल जी | संचालक |
| 7. | श्री अशोक पिता हीरालाल जी | संचालक |
| 8. | श्रीमति संतोष बाई पति सोहनलालजी | संचालक |
| 9. | श्री बाबु पिता रूपचंद जी | संचालक |

यह भी आदेश देता हूँ कि संस्था उपविधि अनुसार सुचारू कार्य प्रारंभ कर प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत करें तथा छः माह के अन्दर संचालक मण्डल के नवीन निर्वाचन पूर्ण करवाना सुनिश्चित करावे।

यह आदेश आज दिनांक 07 जनवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा जे जारी किया गया।

(173)

पुष्टेन्द्र कुमार कुशवाह,
सहायक पंजीयक।

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर

सीहोर, दिनांक 23 दिसम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/539 सीहोर दिनांक 06 जून, 2016 के द्वारा महिला बहुउद्देशिय सहकारी संस्था मर्या., झोलियापुर रेहटी, तहसील रेहटी, जिला सीहोर पंजीयन क्रमांक 1826, दिनांक 16 जुलाई, 2015 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री आर.सी. रैकवाल, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त की अनुशंसा की गई है। परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 29 जुलाई, 1999 के प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला बहुउद्देश्य सहकारी संस्था मर्या., झोलियापुर रेहटी तहसील रेहटी, जिला सीहोर पंजीयन क्रमांक 1826, दिनांक 16 जुलाई, 2015 संस्था का निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 06 जनवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(174)

सीहोर, दिनांक 23 दिसम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/539 सीहोर दिनांक 06 जून, 2016 के द्वारा बालाजी साख सहकारी संस्था मर्या., सीहोर, तहसील सीहोर, जिला सीहोर पंजीयन क्रमांक 1702, दिनांक 08 अप्रैल, 2013 जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री आर.सी. रैकवाल, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त की अनुशंसा की गई है। परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 29 जुलाई, 1999 के प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बालाजी साख सहकारी संस्था मर्या., सीहोर, तहसील सीहोर, जिला सीहोर पंजीयन क्रमांक 1702, दिनांक 08 अप्रैल, 2013 संस्था का निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 06 जनवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(175)

सीहोर, दिनांक 23 दिसम्बर, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/539 सीहोर दिनांक 06 जून, 2016 के द्वारा विवेकानन्द साख सहकारी संस्था मर्या., रेहटी, तहसील रेहटी, जिला सीहोर पंजीयन क्रमांक 1770, दिनांक 23 मई, 2014 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री आर.सी. रैकवाल, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त की अनुशंसा की गई है। परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 29 जुलाई, 1999 के प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए विवेकानन्द साख सहकारी संस्था मर्या., रेहटी तहसील रेहटी, जिला सीहोर पंजीयन क्रमांक 1770, दिनांक 23 मई, 2014, संस्था का निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 06 जनवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(176)

भूपेन्द्र प्रताप सिंह
उप-पंजीयक.



मैदान प्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 5]

शोपल, शुक्रवार, दिनांक 31 जनवरी, 2020-माझ 11, शके 1941

भाग 3 (2)

सांख्यिकी सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अधिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश

मोसम, फसल तथा पशु-स्थिति का सापाहिक प्रतिवेदन, सत्रहात्त बुधवार, दिनांक 13 नवम्बर, 2019 में जिलों को तहसीलों के सामने वर्षा मिलिमीटर में प्रतिवेदित की गई है।

1. मोसम एवं वर्षा:-—प्रयः राज्य में मोसम शुष्क रहा। कुछ जिलों में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है। संलग्न सांख्यिकी मूलना-1 में जिलों की तहसीलों के सामने वर्षा मिलिमीटर में प्रतिवेदित की गई है।
2. प्रारम्भिक जुताई पर वर्षा का प्रभाव :- कोई प्रभाव नहीं।
3. बोनी पर वर्षा का प्रभाव :- कोई प्रभाव नहीं।
4. धान रोपाई पर वर्षा का प्रभाव :- कोई प्रभाव नहीं।
5. खड़ी फसल पर रोपा च कीड़ों का प्रभाव :- कोई प्रभाव नहीं।
6. कट्टी हुड़ी फसल पर वर्षा का प्रभाव :- कोई प्रभाव नहीं।
7. अन्य असामयक घटना से क्षति :- कोई प्रभाव नहीं।
8. फसल स्थिति :-जिलों से प्राप्त पत्रकों में कुछ जिलों में फसल स्थिति जिन्हीं हुई तथा शेष जिलों में सतोषप्रद रहना प्रतिवेदित किया गया है।
9. सिंचाई:- राज्य के कुछ जिलों में सिंचाई होने पानी अपर्याप्त मात्रा में प्रतिवेदित किया गया है। संबंधित जिलों के सामने सांख्यिकी मूलना-1 में प्रतिवेदित किया गया है।
10. पशुओं की स्थिति:- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में पशुओं की स्थिति मनोषप्रद रहना प्रतिवेदित किया गया है।
11. चारा :- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है।
12. बीज:- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।
13. खेतिहर श्रमिक :- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में खेतिहर श्रमिक उचित दर पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक-1, सप्ताहान्त बधवार, दिनांक 13 नवम्बर, 2019

1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8						9			10		
4.	ग्वालियर :	ग्वालियर	जुताई चालू बोनी चालू	गेहूँ मटर	चना	राईसरसों	5. पर्याप्त.	6.(अ) संतोषजनक,	6.(ब) अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.	
	डब्रा		
	भितरवार		
	चीनोर		
	घाटीगांव		#REF!	#REF!	#REF!	समान	
5.	दतिया :	सेवढ़ा	जुताई चालू बोनी चालू	गेहूँ चना	राईसरसों मटर	मसूर	कम	..	सामान्य	..	5. पर्याप्त.	6.(अ) संतोषजनक,	6.(ब) अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
	दतिया		
	इन्द्रगढ़		
	बढ़ौनी		
	भाण्डेर		
6.	शिवपुरी :	शिवपुरी	11.0	..	जुताई चालू बोनी चालू	चना	राईसरसों	सुधरी हुई	..	5. पर्याप्त.	6.(अ) संतोषजनक,	6.(ब) अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
	पिछोर		
	खनियाधाना		
	नरवर		
	करैरा		
7.	कोलारस	15.0	
	पोहरी		
	बैराढ़		
	बद्रवास	19.0	
	अशोकनगर :	मुँगावली	गन्ना	अधिक	55%	समान	..	5. पर्याप्त.	6.(अ) पर्याप्त,	6.(ब) अच्छी.	7. ..	8. पर्याप्त.
8.	ईसागढ़		गेहूँ	अधिक	10%	समान
	अशोकनगर		चना	अधिक	55%	समान
	चद्देरी	
	नई सराय	
	पिपरई	
9.	शाढोरा	

1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8						9			10	
17.	अनूपपुर :	जैतहरी	..	जुताई चालू	धान	..	समान	..	सुधरी हई	20%	5..	6.(अ)संतोषजनक,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.	
		अनूपपुर	..	बोनी चालू	तुअर	..	अधिक	10%	सुधरी हई	10%	
		कोतमा	ज्वार	..	अधिक	5%	सुधरी हई	15%	
		पुष्पराजगढ़	
		बांधवगढ़	..	जुताई चालू	धान	..	अधिक	20%	सामान्य	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)संतोषजनक,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.	
18.	उमरिया :	बाली	..	बोनी चालू	तुअर	..	कम	2%	समान	
		चंदिया	
		नौरोजाबाद	
		मानपुर	
		सीधी :	..	जुताई चालू	अलसी	..	समान	..	समान	..	5..	6.(अ)संतोषजनक,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.	
19.	सीधी :	गोपदवनास	..	बोनी चालू	चना	..	कम	25%	समान	
		सिंहावल	राईसरसों	..	कम	65%	सामान्य	
		मझौली	
		कुसमी	
		चुरहट	
20.	सिंगरौली:	बहरी
		रामपुरनैकिन
		चितरंगी	..	जुताई चालू	तुअर	..	कम	2%	सुधरी हुई	5%	5. पर्याप्त.	6.(अ)संतोषजनक,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.	
		देवसर	..	बोनी चालू	ज्वार	..	समान	..	समान	
		सरई	चना	मसूर	..	कम	60%	समान	
..	माडा	अलसी	..	कम	2%	समान	
		सिंगरौली	राईसरसों	..	कम	30%	समान	

1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8	9	10
24.	उज्जैन :	खाचरौद	24.0	जुताई चालू	बोनी चालू
		महिदपुर	22.0
		तराना
		घटिया
		उज्जैन	3.0
		बड़नगर	26.0
		नागदा	10.0
25.	आगर :	बड़ौद	..	बोनी चालू
		सुसनरे
		नलखेड़ा
		आगर
26.	शाजापुर:	मोमन (बड़े)	..	जुताई चालू	तुअर	कम	10%	समान
		शाजापुर	..	बोनी चालू
		शुजालपुर
		कालापीपल
		पोलायकलां
		अब्बोपुर बड़ैदिया
		गुलाना
27.	देवास :	सोनकच्छ	तुअर	कम	40%	सुधरी हुई
		टोंकखुर्द	कपास	कम	30%	बिगड़ी
		देवास
		बागली
		कन्नोद
		हाटपिपल्या
		सतवास
		उदयनगर
		खातेगांव

1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8				9			10				
32.	खरगौन :	बड़वाह महेश्वर सेगांव खरगौन गोगावां कसरावद भगवानपुरा भीकनगांव सनावद झिरन्या	जुताई चालू	कपास	अधिक	समान	5. पर्याप्त.	6.(अ) संतोषजनक,	6.(ब) अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
#REF!								तुअर	कम	समान
33.	बड़वानी :	बड़वानी ठीकरी राजपुर सेंधवा पानसेमल पाटी अंजड बरला निवाली	जुताई चालू	कपास	अधिक	20%	समान	5. ..	6.(अ) संतोषजनक,	6.(ब) अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
								ज्वार	कम	25%	समान
34.	खण्डवा :	खण्डवा पुनासा खालवा पंधाना हरसूद	12.0 ..	जुताई चालू बोनी चालू	गेहूँ	कम	5%	सुधरी हुई	2%	5. पर्याप्त.	6.(अ) संतोषजनक,	6.(ब) अच्छी.	7. ..	8. पर्याप्त.
								चना	सुधरी हुई	2%
35.	बुरहानपुर :	बुरहानपुर खकनार नेपानगर	18.0 .. 21.8 .. 5.9 .. 5.0 ..	जुताई चालू बोनी चालू	कपास	अधिक	15%	सुधरी हुई	10%	5. ..	6.(अ) संतोषजनक,	6.(ब) अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
								तुअर	कम	5%	सुधरी हुई	10%

1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8	9	10	
43.	हरदा :	हरदा खिड़किया सिराली रेहटगांव हर्डिया टिमरनी	जुताई चालू	5. पर्याप्त. 6.(अ) संतोषजनक, 6.(ब) अच्छी.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.	
44.	जबलपुर :	जबलपुर कुण्डम सीहोरा पाटन मझौली शाहपुरा पनागर अधारताल	जुताई चालू बोनी चालू	धान तुअर	अधिक कम 40%	15% सुधरी हुई सुधरी हुई	5. पर्याप्त. 6.(अ) संतोषजनक, 6.(ब) अच्छी.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
45.	कटनी :	बहोरीबंद ढाईमरखेड़ा रीठी बड़वारा मुड़वारा (क) विजयराधवगढ़ बरही	जुताई चालू बोनी चालू	धान चना	तुअर मसूर	समान समान समान समान समान समान समान	5. पर्याप्त. 6.(अ) संतोषजनक, 6.(ब) अच्छी.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
46.	नरसिंहपुर :	नरसिंहपुर गोटेगांव करेली गाडरवारा तेंदूखेड़ा	जुताई चालू बोनी चालू	गन्ना धान तुअर	कम अधिक 5%	5% .. 6.(अ) संतोषजनक, 6.(ब) अच्छी.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.	

1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8						9			10			
51.	बालाघाट :		धान	समान	..	समान	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)संतोषजनक,	6.(ब)अच्छी.	7. ..	8. पर्याप्त.
	बालाघाट		
	लाँजी		
	किरनापुर		
	बैहर		
	वारासिवनी		
	कटंगी		
	लालबरा		
	तिरोडी		
	परसवाड़ा		
	बिरसा		
	खैरलाँजी		

(146)

बी. बी. अग्निहोत्री,

उप-आयुक्त,

वास्ते-आयुक्त,

भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश.